रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052025-262842
CG-DL-E-03052025-262842

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 2025/ वैशाख 12, 1947
No. 243] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 2025/ VAISAKHA 12, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2025

सं. 42/2025

सा.का.नि. 286(अ)–केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2025 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के,परिशिष्ट-II में, प्ररूप आईटीआर-5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

" प्ररूप	आ .क.वि.-5	भारतीय आयकर विवरणी (i) व्यष्टि (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररुप आई टीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति] (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें) (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष 2 0 2 5 - 2 6

भाग क-साधारण	साधारण

व्यक्तिगत जानकारी

(क1)नाम			**(क2)** स्थायी लेखा संख्याक
(क3)क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हाँ, तो कृपया पुराना नाम दें			**(क4)** एमसीए द्वारा **जारी सीमित** दायित्व भागीदारी पहचान संख्या **(**एलएलपीआईएन**)** यदि लागू हो तो**,**
(क7)फ्लैट **/**द्वार **/**ब्लाक सं.	**(क8)**परिसर**/**भवन**/**ग्राम **का** नाम		**(क5)**विरचना की तारीख **(**दि.मा.व)
			(क6)कारबार प्रारंभ होने की तारीख **(**दि.मा.व)
(क9)सड़क/गली /डाकघर	**(क10)** क्षेत्र /अवस्थान	प्रारस्थिति (फर्म-1 उप प्रास्थिति-भागीदारी फर्म, एलएलपी, स्थानीय प्राधिकारी-2, एओपी/बीओआई-3 उप प्रास्थिति-अन्य सहकारी बैंक, अन्य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860यया उस राज्य की तत्स्थानी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी/सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, कारबार न्यास, विनिधान निधि, आयकर विवरणी 7 में विवरणी फाइल करने के पात्र न्यास से भिन्न न्यास, अन्य कोई एओपी/बीओआई, कृत्रिम विधिक व्यक्ति-4, उप-प्रास्थिति-मृतक की संपदा, दिवालिया की संपदा, अन्य एजेपी*),*	☐

(क11)नगर/शहर/जिला	**(क12)**राज्य		**(क13)**पिनकोड**/** जिप कोड
	(क14)देश		
(क15)निवास/कार्यालय का फोन नं. एसटीडी कोड **सहित मोबाईल** सं. **1**			**(क16)मोबाईल** सं. 2
(क17)ई-मेल पता**-1**			**(क18)**ई-मेल पता**-2**

(फाईल करने की प्रास्थिति)

(क19 कi)	आय की विवरणी फाइल करने की देय तारीख(ड्रापडाउन उपबंधित किया जाए) 1. 31 जुलाई 2. 31 अक्टूबर 3. 30 नवंबर	
(क19 कii)	(1) धारा के अधीन फाइल **(सही का निशान लगाएँ)** *[कृपया अनुदेश देखें]*	☐ **139(1)- नियत तारीख को या उस से पूर्व** ☐ **139(4)-** विलंबित, ☐**139(5)-** पुनरीक्षित, ☐**92**गघ-उ{उपांतरित विवरणी**,** ☐ **119(2)(ख)** के अधीन विलंब के लिए माफी के पश्चात्।
	(2) या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	☐ · **139(9),** ☐ · **142(1),** ☐ · **148,** ☐ · **153(ग)**
	(3) क्या आप एक कारबार न्यास हैं**?**	☐ हाँ ☐ **नहीं**
	(4) क्या आप धारा 115पख में निर्दिष्ट एक विनिधान निधि हैं**?**	☐ हाँ ☐ **नहीं**
(ख)	यदि पुनरीक्षित/ दोषपूर्ण**/**उपांतरित करने के लिए सूचना के उत्तर में है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं. और फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें*(दिन /*मास*/*वर्ष*)*	**/ /**
(ग)	**यदि धारा 139(9) / 142(1) / 148/ 153(ग) के अंतर्गत नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर में फाइल की गयी है, तो यूनिक नंबर/ दस्तावेज पहचान संख्या(डी.आई.एन)और ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत फाइल की गई है तो अग्रिम मूल्यन करार की तारीख भरें**	**(**यूनिक नंबर*)* **/ /**

	(घ)	**1. चालू निर्धारण वर्ष के लिए(यदि लागू हो) नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनने की पद्धति** **□ 10झडक भरने के द्वारा(कारबार या वृत्ति से आय) (सेट क का उत्तर)** **□ आय की विवरणी में विकल्प का केवल प्रयोग करने के द्वारा(प्ररूप 10झडक लागू नहीं होता) (सेट ख का उत्तर)** **2क(सेट क)** **क्या आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 में प्ररूप 10झड़क में नई नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनने के लिए(धारा 115खकग(6) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है**? **(क) हां (यदि हां, तो कृपया निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए प्ररूप 10झडक की अभिस्वीकृति संख्या तथा फाइल करने की तारीख प्रस्तुत करें**? **2क. क्या आप चालू निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने का विकल्प जारी रखना चाहतें हैं □ हां □ नहीं** **(यदि, नहीं , तो कृपया निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए प्ररूप 10झडक की अभिस्वीकृति संख्या तथा फाइल करने की तारीख प्रस्तुत करें)** **(ख) नहीं(कृपया 'नहीं' चुनें, यद्यपि निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए देय तारीख के पश्चात् प्ररूप 10झडक भरा गया था** **2ख क्या आप चालू निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने का विकल्प चुनना चाहतें हैं □ हां □ नहीं** **(यदि हां, तो कृपया निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए प्ररूप 10झडक की अभिस्वीकृति संख्या तथा फाइल करने की तारीख प्रस्तुत करें** **(ग) निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए लागू नहीं होता, चूंकि यहां कोई कारबार आय नहीं थी** **2ख क्या आप चालू निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहने का विकल्प चुनना चाहतें हैं □ हां □ नहीं** **(यदि 'हां' , तो कृपया निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए प्ररूप 10झड़क की अभिस्वीकृति संख्या तथा फाइल करने की तारीख प्रस्तुत करें)** **टिप्पण – धारा 115खकग (6) के अधीन विकल्प, प्ररूप 10झड़क में, धारा 139(1) के अधीन विवरणी फाइल करने की देय तारीख को या से पूर्व, प्रयोग किया जाना चाहिए।** **2ख (सेट ख)** **क्या आप धारा 115खकग(6) के अधीन नई कर व्यवस्था से बाहर रहने का विकल्प जारी रखना चाहतें हैं**? **(व्युत्पन्न "नहीं" है) □ हां □ नहीं**		
	(घ ii)	**(क) क्या आपने 115खकग के तहत पूर्ववर्ती वर्षों में नई कर प्रणाली का विकल्प चुना है? □ हां □ नहीं** **(यदि हां का चयन किया गया है तो कृपया नि.व. जिसमें उक्त विकल्प प्रयोग किया गया तथा प्रपत्र 10-आई.एफ की पावती संख्या दाखिल की तारीख सहित प्रस्तुत करें)**		
	(घ iii)	**यदि "नहीं", तो चालू निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प ·नहीं चुना गया ·चुना जा रहा.** **यदि"चुना जा रहा" विकल्प चुना, कृपया पुस्तुत करें**	**प्रपत्र 10 झच** **दि/मा/व**	पावती क्रमांक:
	(घ iv)	**यदि आप नई विनिर्माता सहकारी सोसायटी है, निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए धारा 139(1) के अधीन क्या आय से अनिवार्य रूप से आय की विवरणी भरना अपेक्षित था ? □ हां □ नहीं**		
	(घiv क)	**यदि (घiv) का उत्तर हां है , तो क्या आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 में धारा 115खकड़ के अधीन कोई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने का विकल्प प्रयोग किया है? □ हां □ नहीं**		
	(घiv ख)	**यदि (घiv) का उत्तर नहीं है , तो क्या आपने निर्धारण वर्ष 2025-26 में धारा 115खकड़ के अधीन कोई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने का विकल्प प्रयोग करना चाहते हो ? □ हां □ नहीं**		
	(घiv ग)	**यदि घiv(क) या घiv (ख) , हां के रूप में चुना जाता है, कृपया प्ररूप 10-झचक फाइल करने की तारीख तथा अभिस्वीकृति संख्या प्रस्तुत करें**	**प्ररूप 10झकच फाइल करने की तारीख** **दि/मा/व**	**अभिस्वीकृति सं.**
	(ड.)	**निवास संबंधी |प्रास्थिति *(सही का निशान लगाएँ)* ☑ □ निवासी** □ अनिवासी		
	(च)	**क्या निर्धारिती की अंतराष्ट्रीय वित्तयी सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है?** (सही का निशान लगाएं) ☑ □ हाँ □ **नहीं**		
	(छ)	**क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं**	□ हाँ	□ **नहीं**
	(ज)	**यदि हां तो, कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता संख्या उल्लिखित करें**		
	(झ)	**क्या अंतर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है?**	□ हाँ	□ **नहीं**
	(ञ)	**यदि हां तो, कृपया प्रमाणन संख्या उल्लिखित करें**		
	(ट)	**क्या आप एमएसएमई के रूप में मान्यता प्राप्त हैं**	□ हाँ	□ **नहीं**

	(ठ)	यदि हां तो, कृपया एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अनुसार आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रदान करें।
	(ड)	(i) अनिवासी की दशा में , यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है (सही का निशान लगाएँ) ☑ ☐ हाँ ☐ नहीं (अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी)धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित है ? (चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं
	(ढ)	अनिवासी की दशा में, क्या स्पष्टीकरण (2क) से धारा 9(1) में परिभाषित अनुसार भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति है(एस ई पी) (सही का निशान लगाएँ) ☑ ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हां, कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(ख) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या
	(ण)	क्या आप एफआईआई/एफपीआई? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रेशन का संख्यांक उपबंधित करें ।
	(त)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा {फाइल की जा रही है ? (सही का निशान लगाएँ) ☑ ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें--
	(1)	प्रतिनिधि का नाम
	(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन उल्लिखित करें)
	(3)	प्रतिनिधि का पता
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या हाँक/ आधार संख्या

	थ	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें	
		फर्म का नाम	स्थायी लेखा संख्यांक
	द	क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किया है ? (निशान लगाएं) ☑ ☐हां ☐ नहीं यदि हां तो, साधारण अंश के संबंध में कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें	

	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा संख्यांक	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित अंश					वर्ष के दौरान अंतरित अंश		अंत अतिशेष	
				अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति अंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय मूल्य (विद्यमान अंश धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत
	1 क	1 ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	ध	विधिक अस्तित्व पहचानकर्ता(एलईआई) ब्यौरा(अनिवार्य है यदि प्रतिदाय 50 करोड़ या अधिक है)		
		एलईआई संख्या	तारीख जब तक वैध	
संपरीक्षा जानकारी	क1	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी ? (सही का निशान लगाएँ) ☑ ☐ हाँ ☐ नहीं		
	क 2	क्या निर्धारिती केवल 44कघ/ 44कघक/ 44कड़ / 44ख / 44खख / 44खखक के तहत आय की घोषणा कर रहा है (निशान लगाएं) ☑ ☐ हां ☐ नहीं		
	क2i	यदि नहीं, वर्ष के दौरान क्या व्यवसाय की कुल बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां रू. 1 करोड़ या 10 करोड़ के मध्य है? (चिन्ह) ☑ ☐ हां ☐ नहीं ☐ टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं ☐ टर्नआवेर 10 करोड़ से अधिक		
	क2ii	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है, क्या समस्त प्राप्त राशि का कुल योग जिसमें बिक्री टर्नओवर अथवा सकल प्राप्तियां अथवा पूंजीगत खाते जैसे कि पूंजीगत योगदान,ऋण इत्यादि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राशि शामिल है, नकद में तथा गैर खाता पेयी चेक/ डी डी उक्त राशि से पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (चिन्ह) ☑ ☐ हां ☐ नहीं		
	क 2iii	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है क्या भुगतान का कुल योग व्यय के लिए सम्मिलित राशि अथवा पूंजीगत खाता जैसे कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का भुगतान इत्यादि एवं गैर खाता पेयी चेक /डी डी पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान नकद में उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (चिन्ह) ☑ ☐ हां ☐ नहीं		
	ख	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी ? (सही का निशान लगाएँ) ☑ ☐ हाँ ☐ नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वत: ही होना चाहिए) यदि हां का चयन किया जाता है, तो उल्लेख करें कि निम्नलिखित में से किन शर्तों पर:-		
	खi	विक्रय,आवर्त या सकल प्राप्तियां धारा 44कख के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है (निशान लगाएं) ☑		
	खii	धारा 44कघ,44कघक,44कड़,44खख के अधीन आने वाला निर्धारीति,किंतु अनुमानित आधार पर आय नहीं पस्तुत कर रहा (लागु धारा पर टिक करें) ☐ 44कघ ☐ 44कघक ☐ 44कड़ ☐ 44खख		
	खiii	अन्य (निशान लगाएं) ☑		
	ग	यदि (ख) हाँ है तो क्या लेखों की संपरीक्षा लेखाकार द्वारा की गई है ? (सही का निशान लगाएँ) ☑ ☐ हाँ ☐ नहीं,		

		(i)	**संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (दिन /मास/वर्ष) / /**
		(ii)	**कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर** हस्ताक्षर करने वाले **लेखा परीक्षक का नाम**
		(iii)	**लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या**
		(iv)	लेखा परीक्षक का **नाम (संपत्तिक** फर्म)
		(v)	**संपत्तिक/फर्म** रजिस्ट्रीकरण संख्या
		(vi)	**संपत्तिक/फर्म** लेखा परीक्षक **का स्थायी लेखा संख्या** (स्थायी लेखा संख्या)**/ आधार संख्या**
		(vii)	**लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख**
		(viii)	**संपरीक्षा रिपोर्ट की पावती संख्या**
		(ix)	**यूडीआईएन**

	(घi)	**क्या आप धारा 92ड. के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? ☐ हां ☐ नहीं**		
	(घii)	**यदि घझ हां है, क्या धारा 92 अ के तहत खातों का लेखा परीक्षण किया गया**	· हां · नहीं	**लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख ? दि/मा/व** / **पावती संख्या**
	(घiii)	**यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, (**कृपया अनुदेश देखें**)**		
		☐	☐	☐
		क्रम संख्यांक.	सेक्शन कोड	तारीख (**दिन/मास/वर्ष**) / **पावती संख्या**
	(ङ)	**यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?**		

	अधिनियम और धारा	**(दिन/मास/मास)**	**अधिनियम और धारा**	**(दिन/मास/मास)**

भागीदार/ सदस्य / न्यास की सूचना

अ.	क्या पूर्व वर्ष के **दौरान फर्म/ए ओ पी /बी ओ आइ के भागीदारों/ सदस्यों में** कोई परिवर्तन हुआ **है (सही का निशान लगाएँ)** ☑ ☐ हाँ ☐ **नहीं** **(संस्था तथा सहकारी बैंकों में प्रबंधन समिति का विवरण) यदि हां तो प्रविष्ट/ सेवानिवृत्त भागीदारों का विवरण प्रदान करें।**

क्र.सं.	**भागीदार/सदस्य का नाम**	**प्रवेश/निवृति**	**स्थायी लेखा संख्या**	**प्रवेश/निवृति की तारीख**	**पारिश्रमिक भुगतान/ देय सेवानिवृत्ति भागीदार के मामले में (फर्म के मामले में)**	**अंश का प्रतिशत (यदि अवधार्य हो)**
1.						
2.						

आ	**क्या एओपी/बीओआई /एजेपी का निष्पादक विदेशी कंपनी है? (सही का निशान लगाएँ)** ☑ ☐ हाँ ☐ **नहीं**
	यदि हां तो एओपी/बीओआई /एजेपी के निष्पादक में विदेशी कंपनी के शेयर की प्रतिशतता का उल्लेख करें (सही का निशान लगाएँ) ☑ ☐ ☐
ई.	**क्या एओपी/बीओआई/एजीपी के निष्पादक के किसी सदस्य की कुल आय (ऐसी संगम या निकाय /एजेपी के निष्पादक से उसके शेयरों को छोड़कर) उस अधिकतम रकम से अधिक है जो उस सदस्य के मामले में कर से प्रभार्य नहीं है? (सही का निशान लगाएँ)** ☑ ☐ हाँ ☐ **नहीं**
उ.	**व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2025 या विघटन की तारीख को फर्म/एओपी/बीओआई में भागीदार /सदस्य या न्यास में व्यवस्थापक /न्यासी /फायदाग्राही या मृतक की संपदा या दिवालिया की संपदा की दशा में निष्पादक था**

क्र. सं.	**नाम और पता**	**शेयर का प्रतिशत (यदि अवधारित किया जाए)**	**स्थायी लेखा संख्या**	**आधार संख्या**	**एलएलपी में भागीदार की दशा में , अभिहित भागीदार पहचान संख्या**	**प्रास्थिति (कृपया निदेश देखें)**	**पूंजी पर ब्याज की दर**	***संदत्त/संदेय पारिश्रमिक***
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**

धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए	च	धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में भरा जाना है			
		1	क्या हिताधिकारी के शेयर अवधारित या ज्ञात हैं ?		☐ हाँ ☐ नहीं
		2	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कारबार आय है ?		☐ हाँ ☐ नहीं
		3	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वसीयत द्वारा घोषित है /या अनन्य रुप से व्यवस्थापक के किसी आश्रित रिश्तेदार के फायदे के लिए और /या व्यवस्थापक द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ?		☐ हाँ ☐ नहीं
		4	कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (यथा लागू):		
			(i)	क्या सभी हिताधिकारियों की आय आधारभूत छूट सीमा के नीचे है?	☐ हाँ ☐ नहीं
			(ii)	क्या सुसंगत आय या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत द्वारा घोषित किसी न्यास के अधीन प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है?	☐ हाँ ☐ नहीं
			(iii)	क्या न्यास व्यवस्थापक के रिश्तेदारों/एच यू एफ के सदस्य, प्रमुखत: उस पर/परिवार पर निर्भर, के अनन्य लाभ के लिए 01-03-1970 से पूर्व सृजित अवसीयती न्यास है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
			(iv)	क्या न्यास किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या ऐसे कारबार या वृत्ति में अनन्य रुप से कर्मचारियों के लिए कारबार या वृत्ति का संचालन कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक रुप से सृजित किसी अन्य निधि की ओर से सृजित किया गया है ?	☐ हाँ ☐ नहीं

कारबार का स्वरूप	छ	कारबार या वृत्ती का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ती है तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं (धारा 44कघ, धारा 44कघक और धारा 44कड. के अधीन आय घोषित करने वालों से भिन्न)		
	क्र. सं.	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	कारबार का व्यापारिक नाम, यदि कोई हो	वर्णन
	(i)			
	(ii)			

भाग क- बीएस		31 मार्च, 2025 या विघटन की तारीख को तुलन-पत्र (यदि नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती है तो मद क से ख भरें अन्यथा ग भरें)					
निधियों के स्रोत	अ	निधियों के स्रोत					
	1	भागीदार /सदस्यता निधि					
		क	भागीदार /सदस्यता पूंजी			क	
		ख	आरक्षितियां और अधिशेष				
			i	(पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खi		
			ii	पूंजी आरक्षिति	खii		
			iii	कानूनी आरक्षिति	खiii		
			iv	कोई अन्य आरक्षिति	खiv		
			v	लाभ और हानि लेखा का जमा शेष	खv		
			vi	योग (खi+खii+खiii+खiv+खv)		खvi	
		ग	कुल भागीदारी सदस्य निधि (क +खvi)			1ग	
	2	ऋण निधि					
		क	प्रतिभूत ऋण				
			i	विदेशी करेन्सी में ऋण	कi		
			ii	रूपए में ऋण			
				अ बैंकों से	iiअ		
				आ अन्य से	iiआ		
				इ योग (iiiअ+iiiआ)	ii इ		
			iii	कुल प्रतिभूत ऋण (कi+ii ई)		कiii	
		ख	अप्रतिभूत ऋण (निक्षेप सहित)				
		i	विदेशी मुद्रा ऋण		कi		
		ii	रूपया ऋण				
			अ	बैंकों से ऋण	iiअ		

			आ	आयकर अधिनियम की **धारा 40क(2)(ख)**में विनिर्दिष्ट **व्यक्तियों** से	**ii**आ			
			इ	*अन्य **से***	**ii**इ			
			ई	*कुल रूपया ऋण (iiअ+iiआ+ii)*	**ii**ई			
			iii	*कुल अप्रतिभूत ऋण (ख i + ii **घ**)*			**खiii**	
		ग	**कुल ऋण निधि (कiii + खiii)**				**2**ग	
	3	आस्थगित **कर** दायित्व					**3**	
	4	अग्रिम						
	i	आयकर अधिनियम की **धारा 40क(2)(ख)**में विनिर्दिष्ट **व्यक्तियों से**			**i**			
	ii	अन्य **से**			**ii**			
	iii	कुल अग्रिम **(i+ii)**					**4iii**	
	5	निधि **के** स्त्रोत **(1**ग**+2**ग**+3+4iii)**					**5**	
	आ	**निधियों का उपयोजन**						
	1	**नियत** आस्तियां						
निधियों का उपयोजन		**क**	सकल **:** ब्लाक		**1क**			
		ख	अवक्षयण		**1ख**			
		ग	शुद्ध ब्लॉक **(क-ख)**		**1**ग			
		घ	प्रगतिगत **कार्य** पूंजी		**1घ**			
		ङ	**योग (1**ग**+1घ)**				1 ङ	
	2	विनिधान						
		क	दीर्घकालिक विनिधान					
			i	संपत्ति में विनिधान	**i**			
			ii	**साम्या** लिखत				
				अ सूचीबद्ध **साम्या**	**ii**अ			
				आ असूचीबद्ध **साम्या**	**ii**आ			
				इ **योग**	**ii**इ			
			iii	अधिमानी शेयर	**iii**			
			iv	सरकारी या न्यास **संपत्ति** याहाँ	**iv**			
			v	डिबेंचर या बंधपत्र	**v**			
			vi	पारस्परिक निधियां	**vi**			
			vii	अन्य	**vii**			
			viii	कुल दीर्घकालिक विनिधान **(i+ii +iii+iv+v+vi+vii)**			**क**viii	
		ख	अल्पकालिक विनिधान					
			i	**साम्या** लिखत				
			अ	सूचीबद्ध **साम्या**	**i**अ			
			आ	असूचीबद्ध **साम्या**	**i**आ			
			इ	**योग**	**i**इ			
		ii	अधिमानी शेयर		**ii**			
		iii	सरकारी या न्यास **संपत्तियां**		**iii**			
		iv	डिबेंचर या बंधपत्र		**iv**			
		v	पारस्परिक निधियां		**v**			
		vi	अन्य		**vi**			
		vii	कुल अल्पकालिक विनिधान **(i**इ**+ii +iii+iv+v+vi)**				**ख**vii	
		ग	कुल विनिधान **(क**viii**+ख**vii**)**				**2**ग	
	3	चालू आस्तियां **,** ऋण **और** अग्रिम						
		क	चालू आस्तियां					

			i	सूचियां					
				अ	कच्चा माल	iअ			
				आ	प्रगतिगतस्टॉक	iआ			
				इ	तैयार माल	iइ			
				ई	**व्यापारगत** स्टॉक (व्यापार **के** लिए अर्जित माल **के** संबंध में)	iई			
				उ	भंडार/पैकिंग साम्ग्री **सहित** उपभोग योग्य	iउ			
				ऊ	खुले औजार	iऊ			
				ए	अन्य	iऐ			
				ऐ	**योग (i**अ+**i**आ+**i**इ+**i**ई+**i**उ+**i**ऊ+**i**ए**)**			i ऐ	
			ii	विविध देनदार					
			अ	एक वर्ष से अधिक **के** लिए बकाया		iiअ			
			आ	अन्य		iiआ			
			इ	कुल विविध				iiइ	
			iii	नकदी **और** बैंक अतिशेष					
				अ	बैंक में अतिशेष	iiiअ			
				आ	हाथ में नकदी	iiiआ			
					अन्य	iiiइ			
				ई	कुल नकद **और** नकद समतुल्य **(iii** अ+**iii** आ + **iii**इ**)**			iiiई	
			iv	अन्य चालू आस्तियां				कiv	
			v	कुल चालू आस्तियां **(i**ऐ +**ii**इ+**iii**ई+**कiv)**				कv	
		ख	ऋण **और** अग्रिम						
			i	नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य **के** लिए अग्रिम		खi			
			ii	**निक्षेप**, उधार तथा **कॉरपरेट** अग्रिम **और** अन्य		खii			
			iii	राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशेष		खiii			
			iv	**योग (खi + खii +खiii)**				खiv	
			v	**खiv**में सम्मिलित ऋण **और** अग्रिम **जो** निम्नलिखित **के** लिए **है**					
				क	कारबार या ´वृत्ती **के** प्रयोजन **के** लिए	vक			
				ख	कारबार या ´वृत्ती **के** प्रयोजन **के** लिए नहीं	vख			
		ग	**योग (कv+खiv)**					3ग	
		घ	विद्यमान दायित्व **और**						
			i	*विद्यमान दायित्व*					
				अ	विविध				
					1 एक वर्ष सेअधिक **के** लिए बकाया	1			
					2 अन्य	2			
					3 योग (1+ 2)	अ3			
				आ	पटटाधृत आस्तियों**के** लिए दायित्व	iआ			
				इ	रण पर **प्रोद्भूत** ब्याज **और** शोध्य	iइ			
				ई	रण पर **प्रोद्भूत** ब्याज किन्तु शोध्य नहीं	iई			
				उ	अग्रिममें **प्राप्त** आय	iउ			
				ऊ	अन्य संदेय	iऊ			
				ए	**योग (**अ3+**i**आ+**i**इ+**i**ई+**i**उ+**i** ऊ**)**			iए	
			ii	उपबंध					
				अ	आयकर **के** लिए उपबंध	iiअ			
				आ	छुट्टी नकदिकरण /अधिवर्षित/उपदान **के** लिए उपबंध	ii आ			
				इ	अन्य	ii इ			

			ई	**योग (ii**अ+**ii**आ +**ii**इ**)**		**ii**ई	
			iii	**योग (i**उ+ **ii**ई**)**		**घiii**	
		ङ	शुद्ध चालू आस्तियां **(3**ग-**घiii)**			3ङ	
	4	**क**	अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय		**4क**		
		ख	आस्थगित **कर** आस्ति		**4ख**		
		ग	लाभ **और हानि** लेखा/ संचति अतिशेष		**4**ग		
		घ	**योग (4क + 4ख + 4**ग**)**			**4**घ	
	5	**निधियों के** उपयोजन **का योग (1**ङ **+ 2**ग **+ 3**ङ **+4**घ**)**				**5**	
लेखा **नहीं** होने की दशा	**ग**	उस दशा में **,** जहां कारबार या 'वृत्ती की नियमित लेखा-बहियाँ नहीं रखी **जाती** , वहाँ हाँ कारबार या 'वृत्ती की बाबत **31** मार्च**, 202**5 को निम्नलिखित जानकारी **प्रस्तुत** करें					
		1	विविध देनदारों की कुल रकम			ग**1**	
		2	विविध लेनदारों की कुल रकम			ग**2**	
		3	**व्यवसायगत** स्टॉक की कुल रकम			ग**3**	
		4	नकद अतिशेष की रकम			ग**4**	

भाग अ-विनिर्माण लेखा			वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)				
1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन						
	क	आरंभिक सूची					
		i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टाक		**i**		
		ii	प्रगति हो रहे कार्य आरंभिक स्टाक		**ii**		
		iii	योग **(i + ii)**			क**iii**	
	ख	क्रय **(**शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर**, यदि कोई हों)**				ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी				ग	
	घ	प्रत्यक्ष व्यय**(**घ**i + ** घ**ii + ** घ**iii)**				घ	
		i	आवक वहन व्यय		**i**		
		ii	बिजली और ईंधन		**ii**		
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय		**iii**		
	ड.	कारखाना अधिव्यय					
		i	अप्रत्यक्ष मजदूरी		**i**		
		ii	कारखाना किराया और दर		**ii**		
		iii	कारखाना बीमा		**iii**		
		iv	कारखाना ईंधन और बिजली		**iv**		
		v	कारखाना साधारण व्यय		**v**		
		vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयन		**vi**		
		vii	योग **(i+ii+iii+iv+v+vi)**			ड.**vii**	
	च	विनिर्माण खाते से विकलन का योग **(**क**iii+**ख+ग+घ+ड.**vii)**				च	
2	अंत स्टाक						
	i	कच्ची सामग्री		**2i**			
	ii	प्रगति रत कार्य		**2ii**			
	योग**I (2i +2ii)**					**2**	
3	उत्पादित माल की लागत **–**व्यापार लेखा में अंतरित**(1**च**-2)**					**3**	

भाग अ- व्यापार लेखा	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यापार लेखा *(जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 4 से 12 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)*						
व्यापार लेखा में जमा	**4**	प्रचालन से राजस्व					
		क	विक्रय/कारबार की सकल प्राप्तियां *(*शुद्ध प्रतिदाय और विवरणी और शुल्क और कर, यदि कोई हो*)*				
			i	माल का विक्रय	**i**		
			ii	सेवाओं का विक्रय	**ii**		
			iii	अन्य प्रचालित राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
				क	**iii**क		
				ख	**iii**ख		
				ग योग **(iii**क **+ iii**ख**)**	**iii**ग		
			iv	योग **(i + ii + iii**ग**)**		कiv	
		ख	वृत्ति से सकल प्राप्तियां			ख	
		ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उप कर				
			i	संघ उत्पाद शुल्क	**i**		
			ii	सेवा कर	**ii**		
			iii	वैट/विक्रय कर	**iii**		
			iv	**केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)**	**iv**		
			v	**राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)**	**v**		
			vi	**एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)**	**vi**		
			vii	**संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर** (यूटीजीएसटी)	**vii**		
			viii	कोई अन्य शुल्क, कर और उप कर	**viii**		
			ix	योग **(i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)**		गix	
		घ	प्रचालन से कुल राजस्व **(**कiv + ख +गix**)**			**4**घ	
	5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक				**5**	
	6	व्यापार लेखा में जमा का योग**(4**घ **+ 5iv)**				**6**	
व्यापार लेखा से विकलन	**7**	तैयार मालों का आरंभिक स्टाक				**7**	
	8	क्रय **(**शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, कोई हो**)**				**8**	
	9	प्रत्यक्ष व्यय **(9i + 9ii + 9iii)**				**9**	
		i	आवक वहन व्यय		**i**		
		ii	बिजली और ईंधन		**ii**		
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण: प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के आधार पर लाइन खींची जा सकती है		**iii**		
	10	माल और सेवाओं के क्रय के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर					
		i	सीमा शुल्क		**10i**		
		ii	प्रति शुल्क		**10ii**		
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क		**10iii**		
		iv	संघ उत्पाद शुल्क		**10iv**		
		v	सेवा कर		**10v**		
		vi	वेट/विक्रय कर		**10vi**		
		vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)		**10vii**		
		viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)		**10viii**		
		ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)		**10ix**		
		x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)		**10x**		
		xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर		**10xi**		
		xii	योग **(10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)**			**10xii**	
	11	उत्पादित माल की लागत- विनिर्माण खाते से अंतरित				**11**	
	12	कारबार/वृत्ति से सकल लाभ- लाभ और हानि लेखा में अंतरित (6-7-8-9-10**xii**-11)				**12**	

	12क	इंट्राडे का कारबार का आवर्तन	**12**क	
	12ख	इंट्राडे कारबार की आय- लाभ तथा हानि को अंतरित	**12**ख	

भाग अ-लाभ और हानि	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभ और हानि लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित होती है वहां मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)					
लाभ और हानि लेखा को जमा	**13**	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ (12 + 12ख)			**13**	
	14	अन्य आय				
		i	किराया	**i**		
		ii	कमीशन	**ii**		
		iii	लाभांश आय	**iii**		
		iv	ब्याज आय	**iv**		
		v	स्थिर आस्तियों के विक्रय से लाभ	**v**		
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में भारित प्रतिभूति के कारण विनिधान के विक्रय पर लाभ (एस टी टी)	**vi**		
		vii	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	**vii**		
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनिमय के उतार-चढाव के कारण अभिलाभ (हानि)	**viii**		
		ix	धारा 28(**vi**क) के अधीन तालिका के पूंजीगत आस्ति में संपरिवर्तन पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका की एफएमवी)	**ix**		
		x	कृषि-आय	**x**		
		xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
			क	**xi**क		
			ख	**xi**ख		
			ग योग **(xi**क **+ xi**ख**)**	**xi**ग		
		xii	अन्य आय का योग**(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x+ xi**ग**)**		**14xii**	
	15	लाभ और हानि लेखा को जमा का योग**(13+14xii)**			**15**	
लाभ और हानि लेखा से विकलन	**16**	जावक भाड़ा व्यय			**16**	
	17	भंडारित और अतिरिक्त सामानों का उपभोग			**17**	
	18	बिजली और ईंधन			**18**	
	19	किराया			**19**	
	20	भवन की मरम्मत			**20**	
	21	मशीनरी की मरम्मत			**21**	
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर				
		i	वेतन और मजदूरी	**22i**		
		ii	बोनस	**22ii**		
		iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	**22iii**		
		iv	छुट्टी नकदीकरण	**22iv**		
		v	अवकाश यात्रा लाभ	**22v**		
		vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	**22vi**		

		vii	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	**22vii**			
		viii	मान्यता प्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	**22viii**			
		ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	**22ix**			
		x	कर्मचारियों को अन्य कोई लाभ जिसके संबंध में व्यय उपगत किया गया है	**22x**			
		xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर **(22i** का **22x** योग**)**			**22xi**	
		xii	क्या 22**xi** में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	**xii**क	हां **/** नहीं		
			यदि हां तो **,** अनिवासियों को संदत्त रकम	**xii**ख			
	23	बीमा					
		i	चिकित्सा बीमा	**23i**			
		ii	जीवन बीमा	**23ii**			
		iii	प्रमुख व्यक्ति बीमा	**23iii**			
		iv	कारखाना**,** कार्यालय**,** कार**,** मालों आदि सहित अन्य बीमा	**23iv**			
		v	बीमा पर कुल व्यय**(23i + 23ii + 23iii + 23iv)**			**23v**	
	24	कर्मकारों और कर्मचारी कल्याण व्यय				**24**	
	25	मनोरंजन				**25**	
	26	आतिथ्य				**26**	
	27	सम्मेलन				**27**	
	28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन **(**विज्ञापन के सिवाय**)**				**28**	
	29	विज्ञापन				**29**	
	30	कमीशन					
		i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	**i**			
		ii	अन्यों को	**ii**			
		iii	योग **(i + ii)**			**30iii**	
	31	स्वामिस्व					
		i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	**i**			
		ii	अन्यों को	**ii**			
		iii	योग **I (i + ii)**			**31iii**	
	32	वृत्तिक /परामर्श फीस /तकनीकी सेवाओं के लिए फीस					
		i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	**i**			
		ii	अन्यों को	**ii**			
		iii	योग **(i + ii)**			**32iii**	
	33	होटल**,** भोजन तथा आवास				**33**	
	34	विदेश यात्रा के सिवाय व्यय				**34**	
	35	विदेश यात्रा व्यय				**35**	

	36	प्रवहण व्यय		36	
	37	टेलीफोन व्यय		37	
	38	अतिथि गृह व्यय		38	
	39	क्लब व्यय		39	
	40	उत्सव समारोह व्यय		40	
	41	छात्रवृत्ति		41	
	42	दान		42	
	43	संदान		43	
	44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर और दर (आय पर करों के सिवाय)			
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	वेट/विक्रय कर	44iii		
	iv	उप कर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	एसटीटी और सीटीटी सहित कोई अन्य दर, कर, शुल्क और उपकर	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर**(44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix)**		44x	
	45	संपरीक्षा फीस		45	
	46	फर्म के भागीदारों को वेतन/पारिश्रमिक		46	
	47	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	i		i		
	ii		ii		
	iii	योग **(i + ii)**		47iii	
	48	अशोध्य ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक का अशोध्य ऋण दावा किया गया है)			
	i(1)		48i(1)		
	i(2)		48i(2)		
	i(3)		48i(3)		
	i	अपेक्षानुसार लाइन खींची जा सकती है कुल योग **[48i(1)+48i(2)+48i(3)]**	48i		
	ii	अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूरा पता उल्लिखित करें)	48ii		
	iii	अन्य **(**एक लाख रुपए से कम रकम**)**	48iii		
	iv	कुल अशोध्य ऋण **48i + 48ii + 48iii)**		48iv	
	49	अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध		49	

	50	अन्य उपबंध			50	
	51	ब्याज अवक्षयण के पूर्व लाभ और कर **[15 – (16** से **21 + 22xi + 23v + 24** से **29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33** से **43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48iv + 49 + 50)]**			51	
	52	ब्याज				
		i	भारत से बाहर भुगतान किया गया हो अथवा भारत में किसी अनिवासी को (कंपनी के अलावा) अथवा किसी विदेशी कंपनी को	**i**		
		ii	अन्यों को	**ii**		
		iii	योग **(i + ii)**		52iii	
	53	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण			53	
	54	करों के पूर्व शुद्ध लाभ**(51 – 52iii – 53)**			54	
कर और विनियोजनों के लिए उपबंधों का प्रावधान	55	चालू कर के लिए उपबंध			55	
	56	आस्थगित कर का प्रावधान			56	
	57	कर के पश्चात् लाभ**(54 - 55 - 56)**			57	
	58	पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रनीत अतिशेष			58	
	59	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम**(57 + 58)**			59	
	60	आरक्षित और अतिशेष में अंतरित			60	
	61	स्वत्वधारी के लेखा में तुलन पत्र में अग्रनीत अतिशेष **(59 – 60)**			61	
उपधाराणात्मक आय मामले	62	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)				

क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण

(i)	सकल आवर्तन या सकल प्राप्तियां **(i**क **+ i**ख **+i**ग**)** (62**i** 2 करोड़ रू तक सीमित है, तथापि यदि **[**62**i** ख+62**i**ग**]**, 62**i** के **5%** से कम या समतुल्य है तो 62**i** के अधीन सीमा 3 करोड़ रू तक बढ़ जाती है)			62i	
क	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	**i**क			
ख	नकद में प्राप्तियां	**i**ख			
ग	क और ख से भिन्न अन्य रीति	**i**ग			
(ii)	धारा **44**कघ के अधीन उपधाराणात्मक आय **(ii**क **+ ii**ख**)**			62ii	
क	**62i**क का **6%** या अर्जित दावाकृत रकम**,** जो भी अधिक हो	**ii**क			
ख	(**62i**ख+**62i**ग) का **8%** या दावाकृत रकम**,** जो भी अधिक हो	**ii**ख			

टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियां/आवर्तन**,** के उपरोक्त प्रतिशत से कम हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44क ख के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है

	63	धारा 44कघक के अधीन वृत्तियों से उपधाराणात्मक आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)				

क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण

(i)	सकल प्राप्तियां(63**i**, 50 लाख रू तक सीमित है, तथापि यदि **[**63**i**ख+63**i**ग**]**, 63**i** के 5**%** से कम या समतुल्य है तो 63**i** के अधीन सीमा 75 लाख रू तक बढ़ जाती है)	63i	
क	खाते में देय चैक या खाते में देय ड्राफ्ट या बैंक इलैक्ट्रानिकली निकासी प्रणाली से प्राप्त या विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त विहित इलैक्ट्रानिक रीति से प्राप्त	**i**क	
ख	नकद में प्राप्तियां	**i**ख	
ग	क और ख से भिन्न अन्य रीति	**i**ग	

	(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (63i का 50% , या अर्जित दावाकृत रकम जो भी अधिक रकम)	63ii	
	टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियों के 50% से कम आय हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44कघक के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है			
64	धारा 44कड. के अधीन मालों के वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना			

क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण

	माल वहन की रजिस्ट्रीकरण संख्या	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टे या भाड़े पर है	माल वहन की टन भार क्षमता(मी.ट.में)	मासों की संख्या जिसके लिए निर्धारिती द्वारा माल को स्वामित्व/ पट्टे/भाड़े पर लिया गया	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (टन भार के 12 मी.ट. से अधिक होने पर 1000 रुपया प्रति टन प्रतिमास या, अन्यथा 7500 रु. प्रतिमास) या दावाकृत वास्तविक अर्जित रकम , जो भी अधिक हो
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)					
(ख)					
				कुल	

यथा आवश्यक लाइन जोड़ने का विकल्प (अधिकतम 10 तक)

(ii)	धारा 44कड. के अधीन मालवहन से कुल उपधाराणात्मक आय [सारणी 64(i) के स्तंभ (5) का योग]	64(ii)	
(iii)	कमी: वेतन/फर्म के भागीदारों को पारिश्रमिक	64(iii)	
(iv)	धारा 44कड. के अधीन कुल उपधाराणात्मक आय (ii-iii)	64(iv)	

टिप्पण— यदि लाभ अनुसूची 44कड के अंतर्गत विनिर्दिष्ट से कम है अथवा वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्व वाले माल वाहकों की संख्या 10 से अधिक है, तो यह अनिवार्य है कि बही लेख रखा जाए और 44 कख के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा करवाया जाए।

लेखारहित मामला

65	यदि कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा बही अनुरक्षित नहीं होती है तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्वतन वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें				
(i)	कारबार कर रहे निर्धारिती के लिए				
क	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)		iक		
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1		
	2	किसी अन्य ढंग से	क2		
ख	सकल लाभ		iख		
ग	व्यय		iग		
घ	शुद्ध लाभ			65i	
(ii)	वृत्तिरत निर्धारिती के लिए				
क	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)		iiक		
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1		
	2	किसी अन्य ढंग से	क2		
ख	सकल लाभ		iiख		
ग	व्यय		iiग		
घ	शुद्ध लाभ			65ii	

		(iii)	कुल लाभ **(65i + 65ii)**	**65iii**	
	66	**i**	सट्टा क्रियाकलाप से आवर्तन	**66i**	
		ii	सकल लाभ	**66ii**	
		iii	व्यय, यदि कोई हो	**66iii**	
		iv	सट्टा क्रियाकलाप से शुद्ध आय **(66ii - 66iii)**	**66iv**	

भाग **क-** अन्य जानकारी	अन्य जानकारी *(**यदि धारा** 44**कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक**)*				
अन्य जानकारी	**1**	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति (चयनित करें*)* ☑ ☐ वाणिज्य ☐ नकद			
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन **है** (चयनित करें*)* ☑ ☐ हाँ ☐ **नहीं**			
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी **[**अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ **xl**(3)**]**	**3क**		
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि **[**अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ **xl**(4)**]**	**3ख**		
	4	पूर्व वर्षमें नियोजित बंद स्टॉक **के** मूल्यांकन की पद्दती			
		क **कच्चा** माल **(**यदि लागत या बाजार दरों पर **, जो** भी **कम** हो, **1** लिखें, यदि लागत पर तो **2** लिखें, यदि बाजार दर पर तो **3** लिखें**)**			☐
		ख तैयार माल **(**यदि लागत या बाजार दरों पर **, जो** भी **कम** हो, **1** लिखें, यदि लागत पर तो **2** लिखें, यदि बाजार दर पर तो **3** लिखें**)**			☐
		ग क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्दती में कोई परिवर्तन हुआ **है (**यदि हाँ तो **1** लिखें **और** यदि नहीं तो **2** लिखें **)**			
		घ धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	**4 घ**		
		ङ धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	**4ङ**		
	5	लाभ-हानी लेखे में जमा न की गई रकम **, जो-**			
		क **धारा 28** की परिधि **के भीतर** आ**ने** वाली मदें हैं	**5क**		
		ख प्रोफोर्मा प्रत्यय, वापसी सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर या विक्रय कर या मूल्य वृद्धित कर या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रत्यय, वापसी या प्रतिदायों को ग्रहण किया जाता है	**5ख**		
		ग पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	**5**ग		
		घ आ**य** की कोई अन्य मद	**5घ**		
		ङ पूंजी **प्राप्ति**, यदि कोई हो	**5ङ**		
		च लाभ-हानी लेखे में जमा न की गई कुल **रकम(5क+5ख+5**ग**+5घ+5ङ)**	**5**च		
	6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्त **के** न पूरा **करने** पर **धारा 36 के** अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ **और हानि** लेखे में विकालित रकम			
		क स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमीयम *[36(1)(i)]*	**6**क		
		ख **कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमीयम** *[36(1)(i***ख***)]*	**6ख**		
		ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा **के** लिए बोनस या कमीशन **के** रूप में **संदत्त** कोई राशि **,** जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश **के** रूप में अन्यथा संदेय थी *[36(1)(ii)]*	**6**ग		
		घ उधार ली गई पूंजी की बाबत **संदत्त** ब्याज की कोई **रकम***[36(1)(iii)]*	**6घ**		
		ङ **जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम** *[36(1)(ii***क***)]*	**6ङ**		
		च किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की **रकम***[36(1)(iv)]*	**6**च		
		छ अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम *[36(1)(iv)]*	**6**छ		
		ज **धारा 80**गग**घ** में **निर्दिष्ट पेंशन** स्कीम में अभिदाय की **रकम***[36(1)(iv क)]*	**6**ज		
		झ किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदायों की **रकम***[36(1)(v)]*	**6**झ		
		ञ किसी अन्य निधि में अभिदायों की **रकम***[36(1)(v)]*	**6** ञ		

		ट		किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम **के** अधीन स्थापित किसी निधि या **कर्मचारीयों के** कल्याण **के** लिए किसी **निधि** में अभिदाय **के** रूप में शोध्य तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी **के खाते में** प्रत्यय नहीं की गई किसी **रकम के परिमाण** तक कोई राशि *[36(1)(v क)]*	**6** ट		
		ठ		**डूबंत और शंकास्पद ऋणों** की **रकम***[36(1)(vii)]*	**6** ठ		
		ड		**डूबंत और शंकास्पद ऋणों के** लिए उपबंध *[36(1)(vii क)]*	**6 ड**		
		ढ		किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित **रकम***[36(1)(viii)]*	**6** ढ		
		ण		**कर्मचारियों के बीच परिवार कल्याण से संवर्धन के प्रयोजन के लिए व्यय***[36(1)(ix)]*	**6** ण		
		त		**प्रतिभूतियों से संव्यवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम** यदि ऐसी आ**य** को कारबार सेआ**य** में शामित नहीं **किया** गया **है** । *[36(1)(xv)]*	**6**त		
		थ		धारा **145(2) [36(1)(xviii)** के अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि**]**	**6**थ		
		द		सरकारी अनुमोदित कीमत से अधिक में गन्ने की खरीद के लिए व्यय *[36(1)(xvii)]*	**6** द		
		ध		कोई अन्य अनुज्ञेय	**6** ध		
		न		**धारा 36 के** अधीन अनुज्ञेय कुल **रकम(6क** से **6**ध **का योग)**		**6 न**	
		प		नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या **(**निर्धारिती की मान्यता प्राप्त भविष्य निधि **के** मामले में बाध्यकारी**)**			
			i	भारत में तैनात	**i**		
			ii	भारत से बाहर तैनात	**ii**		
			iii	**योग**	**iii**		
7	**धारा 37 के** अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानी लेखे में विकालित रकमें						
		क		पूंजी **प्रकृति का** व्यय *[37(1)]*	**7क**		
		ख		**व्यक्तिगत** प्रकृति **का** व्यय *[37(1)]*	**7ख**		
		ग		व्यय **जो** अधिकथित या अनन्य रूप से **कारबार** या **व्यवसाय के** प्रयोजन **के** लिए पूर्णतया नहीं **है** *[37(1)]*	**7**ग		
		घ		किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणीका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय *[37(2 ख)]*			
		ङ		तत्समय प्रवृत्त किसी विधि **के** उल्लंघन **के** लिए शास्ति या जुर्माने **के** रूप में व्यय	**7ङ**		
		च		कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	**7**च		
		छ		ऐसे प्रयोजन **के** लिए उपगत व्यय **, जो** अपराध **है** या विधि द्वारा **प्रतिषिद्ध है**	**7**छ		
		ज		प्रकृति **के** किसी दायित्व की रकम	**7**ज		
		झ		**धारा 37 के** अधीन न की गई कोई अन्य रकम	**7**झ		
		ञ		**धारा 37 के** अधीन अनुज्ञेय कुल **रकम (7क** से **7**ञ **का योग)**		**7** ञ	
8	अ			**धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकालित रकम**			
			क	अध्याय **17ख के** उपबंधों **के** अनुपालन **के** कारण **धारा 40(क)(i), के** अधीन अनुज्ञेय रकम	अ**क**		
			ख	अध्याय **XVII- ख के** उपबंधों **के** अनुसरण **के** लेखे **धारा 40(क) (iक) के** अधीन अनुज्ञेय की जाने वाली रकम	अ**ख**		
			ग	वित्त अधिनियम**, 2016** के अध्याय **8** के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा **40 (**क**)(i**ख**)** के अधीन अननुज्ञात योग्य रकम	अग		
			घ	अध्याय **XVII- ख के** उपबंधों **के** अनुसरण **के** लेखे **धारा 40(क)(iii) के** अधीन अनुज्ञेय की जाने वाली रकम	अ**घ**		
			ङ	लाभ **के** आधार पर उद्गृहित या निर्धारित **कर** या दर की **रकम***[40(**क**)(ii)]*	अ**ङ**		
			च	धनकर **के** रूप में **संदत्त** रकम *[40(**क**)(ii क)]*	अच		
			छ	राजस्व**,** अनुज्ञप्ति फीस **,** सेवा फीस आदि **के** माध्यम से**धारा 40(क)(iiङ) के** अनुसार **संदत्त** रकम	अछ		
			ज	किसी भागीदार या सदस्य को **संदत्त** ब्याज **,** वेतन **,** बोनस **,** कमीशन या परिलब्धि की रकम *[40(**ख**)]*	अ ज		

			झ	कोई अन्य अनुज्ञेय	अ झ			
			ञ	**धारा 40 के** अधीन अनुज्ञेय कुल रकम **(अक** सेअझ **का योग)**			**8**अञ	
		आ		किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में **धारा 40 के** अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष **के** दौरान अनुज्ञेय रकम			**8**आ	
	9	**धारा 40क के** अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानी लेखे में विकालित रकमें						
		क		**धारा 40क(2)(ख)**में विनिर्दिष्ट **व्यक्तियों** को **संदत्त** रकमें	**9क**			
		ख		धारा 40क**(3)** के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रिनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रिनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	**9ख**			
		ग		उपदान **के के** लिए *[40**क** (7)]*	**9**ग			
		घ		किसी निधि , न्यास, कंपनी , ए ओ पी या ब ओ आइ या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था **के** गठन **के** लिए या अभिदाय **के** रूप में , निर्योजक **के** रूप में निर्धारिती द्वारा **संदत्त** कोई राशि *[40**क** (9)]*	**9घ**			
		ङ		धारा **36(1)(xviii) [40**क**(13)** के अधीन यथा अनुज्ञेय चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि**]**	**9**ङ			
		च		कोई अन्य अनुज्ञेय	**9** च			
		छ		**धारा 40क के** अधीन अनुज्ञेय कुल **रकम(9क** और **9ङ का योग)**			**9** छ	
	10	किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष में **धारा 43ख के** अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम						
		क		किसी विधि **के** अधीन कर , शुल्क , उपकर या फीस **के** रूप में कोई राशि	**10क**			
		ख		**कर्मचारियों के** कल्याण **के** लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय **के** रूप में संदेय कोई राशि	**10ख**			
		ग		किसी कर्मचारी को दी गई सेवा **के** लिए बोनस या कमीशन **के** रूप में संदेय कोई राशि	**10**ग			
		घ		किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औधयोगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	**10घ**			
		घक		ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से,जो केंन्द्रीय सरकार द्रारा अधिसूचित की जाए, लिए गए ऋण या उधार पर , समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	**10घ क**			
		ङ		किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	**10ङ**			
		च		छुट्टी नकदिकरण मद्दे संदेय कोई रकम	**10**च			
		छ		भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	**10**छ			
		ज		सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम,2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम को संदेय कोई राशि	10ज			
		झ		**धारा 43ख के** अधीन अनुज्ञेय कुल **रकम(10क** से**10**ज **का योग)**			**10**झ	
	11	पूर्व वर्ष **के** लाभ-हानी लेखे में विकालित किन्तु **धारा 43ख के** अधीन अनुज्ञेय कोई रकम						
		क		किसी विधि **के** अधीन कर , शुल्क , उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	**11क**			
		ख		**कर्मचारीयों के** कल्याण **के** लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय **के** रूप में संदेय कोई राशि	**11ख**			
		ग		किसी कर्मचारी को दी गई सेवा **के** लिए बोनस या कमीशन **के** रूप में संदेय कोई राशि	**11**ग			
		घ		किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औधयोगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज **के** रूप में संदेय कोई राशि	**11घ**			
		घक		ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से,जो केंन्द्रीय सरकार द्रारा अधिसूचित की जाए, लिए गए ऋण या उधार पर , समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	**11 घक**			

		ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	**11ङ**			
		च	छुट्टी नकदिकरण मद्दे संदेय कोई रकम	**11**च			
		छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	**11**छ			
		ज	सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम,2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम को संदेय कोई राशि	11ज			
		झ	**धारा 43ख के** अधीन अनुज्ञेय कुल **रकम(11क** से**11**ज **का योग)**			**11** झ	
	12		निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
		क	संघ उत्पाद शुल्क	**12क**			
		ख	सेवा **कर**	**12ख**			
		ग	मूल्यवर्धित कर **/**विक्रय **कर**	**12**ग			
		घ	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	**12घ**			
		ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	**12ङ**			
		च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	**12**च			
		छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	**12**छ			
		ज	कोई अन्य **कर**	**12**ज			
		झ	ब**का**या कुल **रकम(12क** से**12**ज **का योग)**			**12झ**	
	13		**धारा 33कख** या **धारा 33कखक** या **धारा 33क**ग **के** अधीन लाभ **और** अभिलाभ समझी गई रकमें			**13**	
	14		**धारा 41 के** अधीन **कर** से **प्रभार्य** लाभ की कोई रकम			**14**	
	15		लाभ-हानी लेखे में **(**शुद्ध **)** जमा या विकालित पूर्व अवधि की आ**य** या व्यय की रकम			**15**	
	16		धारा **14**क के अधीन अनुनुज्ञेय व्यय			**16**	
	17		क्या निर्धारिती धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही ☑ का निशान लगाएं ☐ हां ☐नहीं [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]			**17**	

भाग **क-{**परिणात्मक **ब्यौरे**			{परिणात्मक **ब्यौरे** ***(यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक()***			
परिणात्मक **ब्यौरे**	**(क)**		**व्यापारिक समुत्थान** की दशा में			
		1	आरंभिक स्टॉक		**1**	
		2	पूर्व वर्ष **के** दौरान क्रय		**2**	
		3	पूर्व वर्ष **के** दौरान विक्रय		**3**	
		4	बंद स्टॉक		**4**	
		5	**कमी/अधिकता,** यदि कोई हो		**5**	
	(ख)		**विर्निमान समुत्थान** की दशा में			
		6	**कच्ची सामग्री**			
			क	आरंभिक स्टॉक	**6क**	
			ख	पूर्व वर्ष **के** दौरान क्रय	**6ख**	
			ग	पूर्व वर्ष **के** दौरान उपभोग	**6**ग	
			घ	पूर्व वर्ष **के** दौरान विक्रय	**6घ**	
			ङ	बंद स्टॉक	**6ङ**	
			च	**प्राप्ति तैयार उत्पाद**	**6**च	
			छ	**प्राप्ति का** प्रतिशत	**6**छ	
			ज	**कमी/अधिकता,** यदि कोई हो	**6**ज	
		7	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद			
			क	आरंभिक स्टॉक	**7क**	
			ख	पूर्व वर्ष **के** दौरान क्रय	**7ख**	
			ग	पूर्व वर्ष **के** दौरान विनिर्मित मात्रा	**7**ग	
			घ	पूर्व वर्ष **के** दौरान विक्रय	**7घ**	

			ङ	बंद स्टॉक	**7ङ**	
			च	**कमी/अधिकता,** यदि कोई हो	**7**च	

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची गृह संपत्ति **गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा** *(कृपया अनुदेश को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उल्लेख करें)*

संपत्ति

1	संपत्ति**1 का** पता	नगर**/** शहर	राज्य	**देश**	पिन कोड **/** जिप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन नहीं है ? हाँ ☐ नहीं ☐ (यदि हाँ **तो** कृपया निम्नलिखित **ब्यौरे प्रविष्ट** करें)				
	संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता **%**				
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	***सह-स्वामी (स्वामियों) का*** स्थायी खाता संख्या ***क/ आधार संख्या***	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता**(%)**		
	I				
	II				

(लागू विकल्प पर ☑ का निशान लगाएं**]** **(**सही ***का*** निशान लगाएँ**)** ☑ ☐ यदि **किराए** पर हो ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	**किराएदार का** नाम)यदि किराये पर हो(**I** **II**	**किराएदार का** स्थायी खाता संख्या **(पैन)/** *आधार संख्या***(**कृपया टिप्पण देखें**)**	किराएदार(रों) का **पैन /** टैन/ *आधार संख्या*(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)

	क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य		**1क**	
	ख	**किराए** की **रकम जो वसूल** नहीं की **जा सकती**	**1ख**		
	ग	**स्थानीय प्राधिकारियों** को **संदत्त कर**	**1**ग		
	घ	**योग (1ख + 1**ग**)**	**1घ**		
	ङ	**वार्षिक** मूल्य**(1 क – 1 घ)- (शून्य,** यदि अधिनियम की **धारा 23(2) के** अनुसार **स्वंय के दखल आदि में है**		**1ङ**	
	च	**स्वामित्व** संपत्ति **का वार्षिक** मूल्य**(स्वामित्व** भाग **का** प्रतिशत **x 1ङ)**		**1**च	
	छ	**1**च **का 30%**	**1**छ		
	ज	उधार **ली** गई पूंजी पर संदेय ब्याज **(**ब्यौरों को ड्रापडाउन में भरा जाए**,** जो ई-फाइलिंग यूटिलीटी में उपबंधित किए जाने हैं**)**	**1ज**		
	झ	**योग (1**छ **+ 2ज)**		**1झ**	
	ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा **30%**		**1ञ**	
	ट	गृह संपत्ति**1** से आय **(1**च **– 1झ + 1ञ)**		**1ट**	
		(प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग विवरण भरें)			
2	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास*			2	
3	" गृह संपत्ति से आय" **शीर्ष के** अधीन आय **(∑1ट + 2)** *(*यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के *(*झ का अंक लें *)*			3	

टिप्पण ► यदि धारा *194*झख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।
यदि धारा *194*-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है ।

अनुसूची – कारबार या ´वृत्ती | कारबार या ´वृत्ती से आय की **संगणना**

कारबार या ´वृत्ती से आय

अ	**सट्टे के** कारबार **और** विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न , कारबार या ´वृत्ती					
	1	लाभ **और हानि** लेखा **के** अनुसार **कर** से पूर्व धारा **33**कख या धारा **33**कखक या धारा **33**कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें **(**भाग **क-पी और एल का** मद **54 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii)** या **66(iv)**			**1**	
	2क	**1**में **सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध** लाभ या **हानि (-ve** चिन्ह **हानि** की **दशा में प्रविष्ट** करें**)[**व्यापार खाते की क्रम सं. 12ख**]+**लाभ और हानि अनुसूची की क्रम संख्या ***66iv]***		2क		
	2ख	**1**में **सम्मिलित धारा 35कघ के** अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या **हानि (हानि** की **दशा में ऋणात्मक चिन्ह प्रविष्ट** करें**)**		2ख		
	3	**115**खखच के अधीन प्रभार्य या 115खखछ के अधीन प्रभार्य या **115**खखज के अधीन प्रभार्य आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते में जमा आय/प्राप्तियां	**क**	गृह **संपत्ति**	**3क**	
			ख	पूंजी अभिलाभ	**3ख**	
			ग	अन्य **स्रोत**	**3**ग	

				गi	लाभांश आय	3गi				
				गii	लाभांश आय के अलावा	3गii				
				घ	धारा 115खखच	3घ				
				ङ	**धारा 115खखछ**	3ङ				
				च	**धारा 115 खखज के तहत (अधिग्रहण की लागत के अलावा)**	3च	अनुसूची वीडीए का मद सं. (क)			
		4क	1 में शामिल लाभ व हानि जो कि धारा 44कघ/ 44कघक/ 44कड़/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ **44**खख्रग/ 44घक/ 44घख में संदर्भित है (धारा 115ख में संदर्भित जीवन बीमा व्यवसाय से लाभ के अलावा) **(**ड्रापडाउन का उल्लेख करें**)**				4क				
		4ख	धारा **115**ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ				**4ख**			
		4ग	नियम **7, 7**क**, 7**ख**(1), 7**ख**(1**क**)** और **8** में सम्मिलित क्रियाकलापों से लाभ *(*ड्रापडाउन का उल्लेख करें*)*				4ग			
		5	**(1**में **सम्मिलित)** लाभ **और हानि** लेखा मे जमा आ**य, जो** छूट **प्राप्त है**							
			(क)	**{फर्म/ {फर्मों** से आय **का** अंश		5क				
			(ख)	ए ओ पी **/**बी ओ पी से आय **का** अंश		5ख				
			(ग)	कोई अन्य छूट **प्राप्त** आय **(** प्रकृति **और रकम विनिर्दिष्ट** करें**)**						
				i		**ग i**				
				ii		**ग ii**				
				iii	**योग (ग i +** गii**)**	**5**ग **iii**				
			(घ)	कुल छूट प्राप्त आय **(5 क + 5 ख + 5** गiii**)**				**5घ**		
		6	बकाया **(1– 2**क **– 2**ख **– 3**क **- 3**ख **– 3**ग **– 3**ङ **- 3**च **- 4**क **- 4ख - 4**ग **– 5घ)**							**6**
		7	**115**खखच के अधीन प्रभार्य/115खखछ के अधीन प्रभार्य/ 115 खखज के अधीन प्रभार्य आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय		**क**	गृह **संपत्ति**	**7क**			
					ख	पूंजी अभिलाभ	**7ख**			
					ग	अन्य **स्त्रोत**	**7**ग			
					घ	धारा 115खखच	**7घ**			
					ङ	**धारा 115खखछ**	**7ङ**			
					च	**धारा 115 खखज के तहत अधिग्रहण की लागत के अलावा**	**7**च			
		8क	लाभ **और हानि** लेखा में विकलित व्यय				8क			
		8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है और धारा **14**क के अधीन अनुनुज्ञेय है **(**भाग क अन्य जानकारी का 16**)**				**8ख**			
		9	कुल **(7**क **+ 7**ख **+ 7**ग **+ 7**ङ **+ 7**च **+** 8क **+ 8ख)**				**9**			
		10	**समायोजित** लाभ या **हानि (6+9)**							**10**
		11	लाभ **और हानि** लेखा मे विकलित अवक्षयण							**11**
		12	आयकर अधिनियम **के** अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण							
			i	**धारा 32 (1)(ii) के** अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण *(अनुसूची घङत का स्तंभ 6)*			**12i**			
			ii	**धारा 32 (1)(i) के** अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण *(*अपनी संगणना करें आयकर नियम के परिशिष्ट-झक के अनुसार*)*			**12ii**			
			iii	कुल **(12i + 12ii)**						**12iii**
		13	अवक्षयण **के** लिए **समायोजन के पश्चात** लाभ या **हानि (10 +11 - 12iii)**							**13**
		14	**धारा 36 के** अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ **और हानि** लेखा मे विकलित रकम **(**भाग **क -णझ का 6s)**					**14**		
		15	**धारा 37 के** अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ **और हानि** लेखा मे विकलित रकम **(**भाग **क -णझ का 7झ)**					**15**		

		16	**धारा 40 के** अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ **और हानि** लेखा मे विकलित **रकम** (भाग **क -णझ का 8कञ)**		16				
		17	**धारा 40क के** अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ **और हानि** लेखा मे विकलित रकम **(**भाग **क -णझ का 9छ)**		17				
		18	(पूर्व वर्ष **के** लाभ **और हानि** लेखा मे विकलित कोई रकम **,** किन्तु **जो धारा 43ख के** अधीन अनुज्ञेय **(**भाग **क -णझ का 11झ)**		18				
		19	**सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम , 2006** की **धारा 23 के** अधीन **अनुज्ञेय** ब्याज		19				
		20	**धारा 41 के** अधीन समझी गई आ**य**		20				
		21	**धारा 32 क**ग**/ 32कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक /35कखख/ 35 क**ग**/40 क(3 क)/ 33क**ग**/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के** अधीन **मानी** गई आ**य**		21				
		22	**43** ग**क के** अधीन **मानी** गई आ**य**		22				
		23	**धारा 28** से **44घख के** अधीन **के** अतिरिक्त कोई अन्य **मद** या मदें		23				
		24	लाभ **और हानि** लेखा मे **सम्मिलित नहीं** की गई कोई अन्य आ**य/** कोई अन्य व्यय **जो** अनुज्ञेय नहीं **है (जिसमें** वेतन से आय**,** कमीशन **,** बोनस **और** उस **फर्म** से ब्याज **जिसमें हानि निर्धारिति** भागीदार **है)**		24				
		25	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3क + 4घ)		25				
		26	कुल **(14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)**					26	
		27	**धारा 32(1)(iii) के** अधीन अनुज्ञेय **कटौती**		27				
		28	**धारा 35** या **धारा 35**गगग या **धारा 35**गगघ **के** अधीन कटौती की **रकम** सेअधिक **रकम जो** लाभ **और हानि खाते के** नाम डाली गई **है** *(अनुसूची डधद* की मद *x(4) (*यदि *धारा 35* या *धारा 35*गगग या *35*गग*घ के* अधीन कटौती की गई *रकम* लाभ *और हानि खाते के* नाम *डाली* गई *रकम* से *कम है तो यह* मद *24*में *जाएगी)*		28				
		29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में **धारा 40 के** अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष **के** दौरान अनुज्ञेय **रकम(**भाग **क -णझ का 8ख)**		29				
		30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में **धारा 43ख के** अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष **के** दौरान अनुज्ञेय कोई रकम **(**भाग **क -णझ का 10झ)**		30				
		31	कटौती **के** रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम		31				
		32	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3ख+ 4ङ.)		32				
		33	कुल **(27+28+29+30+31+32)**					33	
		34	आय **(13+26-33)**					34	
		35	निम्नलिखित **के** अधीन कारबार या ´वृत्ती **के समझे** जाने **वाले** लाभ या **हानि -**						
			i	**धारा 44कघ [** अनुसूची का **62(ii)]**	35i				
			ii	**धारा 44कघक [**अनुसूची का **63(ii)]**	35ii				
			iii	**धारा 44कङ [**अनुसूची का **64(ii)]**	35iii				
			iv	**धारा 44ख**	35iv				
			v	**धारा 44खख**	35v				
			viक	**धारा 44खखक**	35vi				
			viख	धारा 44खखग	35viख				
			vii	**धारा 44घक**	35vii				
			viii	**धारा 44घख**	35viii	*(प्ररूप 3* ग*ङ* की मद *4)*			
			ix	कुल **(35i** से **35viii)**				35 ix	
		36	**सट्टे और** विनिर्दिष्ट कारबार **के** कारबार से भिन्न **,** कारबार या ´वृत्ती से शुद्ध लाभ या **हानि (34+35ix)**					36	
		37	**नियम 7क, 7ख** या **8** यदि लागू हो तो **,** को लागू **करने के पश्चात सट्टेबाजी और** विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार या **व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 8 लागु नहीं होती है तो 37 में कोई संख्या भरें)(यदि हानि है तो 2i की मद को ड़ में ले जाए) (37क + 37ख + 37**ग **+ 37घ + 37**ङ **+ 37**च **)**					क 37	
			क	नियम **7** के अधीन प्रभार्य आय		37क			

			ख	नियम **7**क के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	**37ख**	
			ग	नियम **7**ख **(1)** के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	**37**ग	
			घ	नियम **7**ख**(1**क**)** के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	**37घ**	
			ङ	नियम **8** के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	**37ङ**	
			च	नियम **7**क**, 7**ख और **8** *(*मद सं. *36)*के सिवाय आय	**37**च	

		38	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के एकत्रीकरण के प्रयोजन के लिए नियम **7, 7**क**, 7**ख**(1), 7**ख**(1**क**)** और नियम **8** को लागू करने के पश्चात् कृषि से हुई समझी गई आय का **[4**ग**-(37**क**+37**ख**+37**ग**+37**घ**+37**ङ**.)]**	**38**
	आ	**सट्टे के** कारबार से आय की **संगणना**		
		39	लाभ या **हानि** लेखा **के** अनुसार **सट्टे के** कारबार से **शुद्ध** लाभ या **हानि**	**39**
		40	**धारा 28** से **44घख के** अनुसार **परिवर्धन**	**40**
		41	**धारा 28** से **44घख के** अनुसार **कटौतियाँ**	**41**
		42	**सट्टेबाजी के** कारबार से आ**य** *(हानि की दशा में 6xvi के* अंक को *अनुसूची*गच *ठ* में *ले जाए)*	आ**42**
	इ	विनिर्दिष्ट कारबार से आ**य** की **संगणना धारा 35 कघ के** अधीन		
		43	लाभ या **हानि** लेखा **के** अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से **शुद्ध** लाभ या **हानि**	**43**
		44	**धारा 28** से**44घक के** अनुसार **परिवर्धन**	**44**
		45	**धारा 28** से **44घक के** अनुसार **कटौतियाँ** *(धारा - (i) 35 **कघ के** **अधीन** **कटौतियों से भिन्न** , (ii) 32* **या** *35 **जिन** **पर** **धारा** 35**कघ के** **अधीन** **कटौती** **का** **दावा किया गया है***	**45**
		46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या **हानि (43+44-45)**	**46**
		47	**धारा 35कघ के** अनुसार **कटौतियाँ (1)**	**47**
		48	विनिर्दिष्ट कारबार से आ**य (46-47)** *(हानि की दशा में 7xvi के* अंक को *अनुसूची*गचठ में *ले जाए)*	इ**48**
		49	धारा 35कघ की उपधारा (5) का सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को समाविष्ट करता है (ड्रापडाउन मेन्यू से चयन किए जाए	इ**49**
	ई	कारबार या **व्यवसाय** से लाभ **और** अभिलाभ' **शीर्ष के** अधीन **प्रभार्य** आय **(क37+ ख42+** ग**48)**		**घ**
	उ	चालू वर्ष की कारबार **हानि** को **बट्टे के खाते में डालने के अंतः शीर्ष**		

क्र. सं.	कारबार आ**य** की **किस्म**	चालू वर्ष की आय **(**इस **स्तंभ** को तभी **भरें** जब संख्या या **शून्य** या **सकारात्मक हो**	बट्टे खाते में डाली गई कारबार **हानि**	बट्टे खाते में डाल
		(1)	**(2)**	**(3)= (1) – (2)**
i	बट्टे खाते में डाली जानी वाली हानि(इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब संख्या सकारात्मक		***(क 37)***	
ii	**सट्टेबाजी के** कारबार से आय	***(ख 42)***		
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	***(ग 48)***		
iv	धारा **115** ख के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	***(4ख)***		
v	बट्टे खाते में डाली गई कुल **हानि (ii + iii** + **iv)**			
vi	बट्टे खाते में डालने **के पश्चात** शेष **हानि (i – v)**			

अनुसूची – संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	**संयंत्र और मशीनरी का** अवक्षयण **(उन आस्तियों से भिन्न जिन** पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य **धारा के** अधीन कटौती **के** रूप में अनुज्ञेय **है)**					
संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	**1**	आस्तियों**का ब्लॉक**	**संयंत्र और मशीनरी**			
	2	दर **(%)**	**15**	**30**	**40**	**45**
			(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**
	3क	**पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य**				
	3ख	धारा 115 ख क ग की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक के अनुसार समायोजन				
	3	कुल (3क+3ख)				
	4	**पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन**				

	5	**3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन**				
	6	**रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5)(यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)**				
	7	**पूर्व वर्ष में 180 दिनो से कम की अवधि के लिए परिवर्धन**				
	8	**7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन**				
	9	**रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)**				
	10	**पूरी** दर से**6** पर **अवक्षयण**				
	11	आधी दर से**9** पर **अवक्षयण**				
	12	**4** पर अतिरिक्त **अवक्षयण** ,यदि कोई हो				
	13	**7** पर अतिरिक्त **अवक्षयण** ,यदि कोई हो				
	14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
	15	कुल **अवक्षयण (10+11+12+13+14)**				
	16	आयकर अधिनियम (स्तंभ 15 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यह्रास,				
	17	कुल नियत मूल्यह्रास **(15-16)**				
	18	उतराधिकार, समामेलन, निर्विलयन आदि (स्तंभ 17 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यह्रास				
	19	आस्ति **/** आस्तियों के अंतरण **के** संबंध में उपगत व्यय				
	20	**धारा 50 के** अधीन पूंजी अभिलाभ**/ हानि (5 + 8 -**3- **4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)**				
	21	पूर्व वर्ष **के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)**				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न **जिन** पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती **के** रूप में अनुज्ञेय **है**)							
	1	आस्तियों **का ब्लॉक**	भूमि	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			**फर्नीचर और फिटिंग**	अमूर्त आस्तियां	**पोत**
	2	दर **(%)**	कुछ नहीं	**5**	**10**	**40**	**10**	**25**	**20**
			(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**	**(v)**	**(vi)**	**(vii)**
अन्य आस्तियों पर **अवक्षयण**	**3**	पूर्व वर्ष **के पहले दिन** अवलिखित मूल्य							
	4	**पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन**							
	5	**3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन**							
	6	**रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5)(यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)**							
	7	**पूर्व वर्ष में 180 दिनो से कम की अवधि के लिए परिवर्धन**							
	8	**7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन**							
	9	**रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)**							
	10	**पूरी** दर से**6** पर **अवक्षयण**							
	11	आधी दर से**9** पर **अवक्षयण**							

	12	**कुल अवक्षयण (10+11)**							
	13	आयकर अधिनियम (स्तंभ 12 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यह्रास,							
	14	कुल नियत मूल्यह्रास **(12-13)**							
	15	उत्तराधिकार,समामेलन, निर्विलयन आदि (स्तंभ 14 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यह्रास							
	16	आस्ति /आस्तियों के अंतरण **के** संबंध में उपगत व्यय							
	17	**धारा 50 के** अधीन पूंजी अभिलाभ/ **हानि (5 + 8 -3- 4 - 7 - 16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)**							
	18	पूर्व वर्ष **के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)**							

अनुसूची - डीईपी	**आस्तियों पर अवक्षयण का सार (**किसी अन्य **धारा के** अधीन उन आस्तियोंसे भिन्न **जिन** पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती **के** रूप में अनुज्ञेय **है)**					
आस्तियों पर अवक्षयण का सार	**1**	**संयंत्र और मशीनरी**				
		क	**15% की दर से अवक्षयण क** लिए **हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम** *17i* या *18i* के अनुसार लागू)	**1क**		
		ख	**30% की दर से अवक्षयण क** लिए **हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम** *17ii* या *18ii* के अनुसार लागू)	**1ख**		
		ग	**40% की दर से अवक्षयण क** लिए **हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम** *17iii* या *18iii* के अनुसार लागू)	**1ग**		
		घ	**45%** की दर से मूल्यह्रास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक *(*अनुसूची डीपीएम- *17iv* अथवा *18iv,* जैसा लागू हो*)*	**1 घ**		
		ङ	**संयंत्र और मशीनरी का पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1 घ)**		**1 ङ**	
	2	**भवन (**जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)				
		क	**5% की दर से अवक्षयण क** लिए **हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए** *14ii* या *15ii* के अनुसार लागू)	**2क**		
		ख	**10% की दर से अवक्षयण क** लिए **हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए** *14iii* या *15iii* के अनुसार लागू)	**2ख**		
		ग	**40% की दर से अवक्षयण क** लिए **हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए** *14iv* या *15iv* के अनुसार लागू)	**2ग**		
		घ	**भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग)**		**2घ**	
	3	**फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v** या *15v* के अनुसार लागू**)**			**3**	
	4	**अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi** या *15vi* के अनुसार लागू**)**			**4**	
	5	**पोत (अनुसूची डीओए 14vii** या *15vii* के अनुसार लागू **)**			**5**	
	6	**कुल अवक्षयण (1ङ+2घ+3+4+5)**			**6**	

अनुसूची - डीसीजी	**अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ**					
	1	**संयंत्र और मशीनरी**				
		क	**15% की दर से अवक्षयण क** लिए **हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20i)**	**1क**		
		ख	**30% की दर से अवक्षयण क** लिए **हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20ii)**	**1ख**		
		ग	**40% की दर से अवक्षयण क** लिए **हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 20iii)**	**1ग**		
		घ	**45%** की दर से मूल्यह्रास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक *(*अनुसूची डीपीएम- *20iv)*	**1 घ**		
		ङ	**योग (1क+1ख+1ग+ 1 घ)**		**1ङ**	
	2	भवन **(**जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)				
		क	**5% की दर से अवक्षयण क** लिए **हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड़ क 17ii)**	**2क**		
		ख	**10% की दर से अवक्षयण क** लिए **हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड़ क 17iii)**	**2ख**		

		ग	**40% की दर से अवक्षयण क** लिए **हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड़ क 17iv)**	**2ग**			
		घ	**योग (2क + 2ख + 2ग)**			**2घ**	
	3	**फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीपीएम 17v)**				**3**	
	4	**अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड़ क 17vi)**				**4**	
	5	**पोत (अनुसूची घ ड़ क 17vii)**				**5**	
	6	**योग (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)**				**6**	

अनुसूची इएसआर	वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या **35** गगग या **35** गग**घ** के अधीन कटौती)			
क्र.स.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय **(1)**	लाभ **और हानि** लेखा मे विकलित रकम, यदि कोई हो **(2)**	अनुज्ञेय **कटौती** **(3)**	लाभ **और हानि** लेखा मे विकलित **रकमसे** अधिक अनुज्ञेय **कटौती** **(4)= (3) - (2)**
i	**35(1)(i)**			
ii	**35(1)(ii)**			
iii	**35(1)(ii** क)			
iv	**35(1)(iii)**			
v	**35(1)(iv)**			
vi	**35(2 कक)**			
vii	**35(2 वख)**			
viii	**35**गगग			
ix	**35i** गग**घ**			
x	**योग**			
टिप्पण ►	यदि किसी मामले में धारा **35(1)(ii) or 35(1)(ii**क) या **35(1)(iii)** या **35(2**कक), के अधीन कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची आरए (दक) के अनुसार ब्यौरों का उल्लेख करें ।			

अनुसूची- पूंजी अभिलाभ	पूंजी अभिलाभ									
पूंजी अभिलाभ	**क**	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ **(** एसटीसीजी**)** *(उप-मद 4 और 5 अनिवासियों के लिए लागू नहीं है)*								
	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	**1**	भूमि या भवन या दोनों **के** विक्रय से **(**प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से विवरण भरें**)**							
			क्रय/अधिग्रहण की तारीख	तारीख/माह/वर्ष	बिक्री/स्थानांतरण की तारीख	तारीख/माह/वर्ष				
			क	**i**	**प्राप्त /प्राप्य** प्रतिफल **का पूरा** मूल्य		**कi**			
				ii	**स्टांप** मूल्यांकन प्राधिकारी**के** अनुसार संपत्ति**का** मूल्य		**कii**			
				iii	पूंजी अभिलाभ **के** प्रयोजन **के** लिए **धारा 50**ग **के** अनुसार अंगीकृत प्रतिफल **का पूरा** मूल्य **[**किसी दशा में **(**क**ii) (**क**i)** का **1.10** गुणा से अधिक नहीं होता है तो **(**क**i)** के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा **(**क**ii)** लें**]**		**कiii**			
			ख	**धारा 48 के** अधीन **कटौतियाँ**						
				i	अधिनियम की धारा **48** के खंड**(III)** नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी		**ख i**			
				ii	सूचीकरण **के** बिना अर्जन की लागत		**ख ii**			
				iii	सूचीकरण **के** बिना सुधार की लागत		**ख iii**			
				iv	**पूर्णतया और** अन्यतः अंतरण **के** संबंध में व्यय		**ख iv**			
				v	**योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)**		**ख v**			
			ग	**तुलन कiii – ख v)**			**1 ग**			
			घ	**धारा 54** छ**/54** छ**क के** अधीन कटौती *(*नीचे मद *घ*में *ब्यौरे* विनिर्दिष्ट करें *)*			**1 घ**			
			ङ	**स्थावर** संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ **(1 ग - 1 घ)**						**क 1 ङ**
			च	स्थावर संपत्ति के अंतरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें **(**टिप्पण देखें**)**						
				क्र.सं.	क्रेता(ओं) के नाम	क्रेता(ओं) का पैन/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड , जिप कोड	पिन कोड	राज्य

			टिप्पण ►		यदि धारा **194**-झक के अधीन कर की कटौती की गई है तो स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्याप्रस्तुत करना आज्ञापक है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें ।							
		2	**स्लम्प बिक्री** से										
			क	**i**	नियम 11प.**क.ङ (2)** के अनुसार उचित बाजार मूल्य		**2कi**						
				ii	नियम 11प.**क.ङ (3)** के अनुसार उचित बाजार मूल्य		**2कii**						
				iii	प्रतिफल **का पूरा** मूल्य **(क i** या **क ii** का अधिकतम**)**		**2कiii**						
			ख		वचनबंध या विभाजन **का** शुद्ध मूल्य		**2 ख**						
			ग		**स्लम्प** की **बिक्री** से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ **(2कiii - 2ख)**							**क 2 ग**	
		3	ईक्टी शेयर या **पारस्परिक** निधि (एमएफ)**उन्मुख** ईक्टी की इ**का**ई **से** , या कारबार न्यास की इ**का**ई, **जिस** पर **धारा 111क** या **धारा 115कघ(1) (ख)** (ii) **के** परन्तुक **(एफआईआई के** लिए) **के** अधीन एस**टीटी संदत्त किया** गया **है (जहां ए4 लागू नहीं होता है)**						जहां 23 जुलाई से पहले अंतरित किया गया	जहां 23 जुलाई 2023 को या के पश्चात् अंतरित किया गया		
			क		प्रतिफल **का पूरा मूल्य**			**3 क**					
			ख		**धारा 48 के** अधीन **कटौतियाँ**								
				i	अधिनियम की धारा **48** के खंड(**III**) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी			**ख i**					
				ii	सूचीकरण **के** बिना अर्जन की लागत			**ख ii**					
				iii	सूचीकरण **के** बिना सुधार की लागत			**ग iii**					
				iv	**पूर्णतया** या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय			**ख iv**					
				v	**योग (i + ii + iii + iv)**			**ख v**					
			ग		शेष **(3 क – ख v)**			**3 ग**					
			घ		**धारा 94(7)** या **धारा 94(8)- के** अधीन अनुज्ञेय **हानि** - उदाहरण **के** लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व **तीन** मास **के भीतर क्रय/** अर्जित **किया** जाता **है और लाभांश/**आ**य/**बोनस **यूनिटों** को **प्राप्त किया** जाता **है** तब ऐसी आस्ति **के** विक्रय से **उद्भूत हानि** की अनदेखी की **जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज** करें **)**			**3 घ**					
			ङ		**साम्या** शेयर या **साम्या** उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ **(एस**टीटी **संदत्त) (3 ङ +3 घ)**				**3ङi**	**3ङii**	**क 3 ङ**		
		4	अनिवासियों **के** लिए **जो** एफ आ ईआई नहीं **है** किसी **भारतीय** कंपनी **के शेयरों** या **लाभांश के** विक्रय से**(जिस**की **संगणना धारा 48 के प्रथम** परन्तुक **के** अधीन **विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ** की **जाएगी)**										
			क		**संव्यवहारों** पर धारा 111क के अधीन कवर, **(क4कi+क4कii)**							**क 4 क**	
					(i)जहां अतंरण 24 जुलाई से पूर्व होता है			**क 4 क i**					
					(ii)जहां अंतरण 24 जुलाई को या के पश्चात् होता है			**क 4 क ii**					
			ख		**शेयरों के विक्रय से एसटीसीजी, क्रम सं. 4क या डिबेंचर के विक्रय में नहीं आता है**							**क4ख**	
		5	अनिवासियों की **दशा में -धारा 115कघ के** अनुसार किसी एफआईआई द्वारा **प्रतिभूतियों के** विक्रय (ऊपर ए **3** से **भिन्न)**										
			क	**i**	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।								
					क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		**iक**					
					ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य		**iख**					
					ग	पूंजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)		**iग**					
				ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			**कii**					
				iii	कुल **(iग + ii)**			**कiii**					

			ख	**धारा 48 के** अधीन **कटौतियाँ**							
				i	अधिनियम की धारा **48** के खंड(**III**) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी		**ख i**				
				ii	सूचीकरण **के** बिना अर्जन की लागत		**ख ii**				
				iii	सूचीकरण **के** बिना सुधार की लागत		**ख iii**				
				iv	**पूर्णतया** या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्य्य		**ख iv**				
				v	**योग (i + ii + iii + iv)**		**ख v**				
			ग	शेष **(5 क iii – ख v)**			**5 ग**				
			घ	**धारा 94(7)** या **धारा 94(8)- के** अधीन अनुज्ञेय **हानि -** उदाहरण **के** लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व **तीन** मास **के भीतर क्रय/** अर्जित **किया** जाता **है और लाभांश/**आय/बोनस **यूनिटों** को **प्राप्त किया** जाता **है** तब ऐसी आस्ति **के** विक्रय से **उद्भूत हानि** की अनदेखी की **जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज** करें **)**			**5 घ**			
			ङ	**साम्या** शेयर या **साम्या** उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ **(एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)**					**क 5 ङ**	
		6	**पूर्वोक्त क 1** या **क 2** या **क 3** या **क 4** या **क 5** से भिन्न आस्तियों के विक्रय **से**								
			क	I	विक्रय की गई आस्तियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।						
					क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		**i क**			
					ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य		i **ख**			
					ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)		**i**ग			
				ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			**कii**			
				iii	कुल (**i**ग + ii)			**कiii**			
			ख	**धारा 48 के** अधीन **कटौतियाँ**							
				i	अधिनियम की धारा **48** के खंड(**III**) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी		**ख i**				
				ii	सूचीकरण **के** बिना अर्जन की लागत		**ख ii**				
				iii	सूचीकरण **के** बिना सुधार की लागत		**ख iii**				
				iv	**पूर्णतया** या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्य्य		**ख iv**				
				v	**योग (i + ii + iii+ iv)**		**ख v**				
			ग	शेष **(6 क iii – ख v)**			**6 ग**				
			घ	**धारा 94(7)** या **धारा 94(8)- के** अधीन अनुज्ञेय **हानि -** उदाहरण **के** लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व **तीन** मास **के भीतर क्रय/** अर्जित **किया** जाता **है और लाभांश/**आय/बोनस **यूनिटों** को **प्राप्त किया** जाता **है** तब ऐसी आस्ति **के** विक्रय से **उद्भूत हानि** की अनदेखी की **जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज** करें **)**			**6 घ**			
			ङ	अवक्षणी आस्तियों पर **माना** गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ **(अनुसूची डीसीजी का 6)**			**6 ङ**				
			च	**धारा 54** छ/**54** छ**क के** अधीन **कटौती**			**6** च				
			छ	**पूर्वोक्त क 1** या **क 2** या **क 3** या **क 4** या **क 5** से भिन्न आस्तियों पर एसटीसीजी **(6 ग+ 6 घ + 6 ङ - 6** च **)**					**क 6**छ		
		7	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि								
			क	क्या नीचे **दिए** गए पूर्व **वर्षों के** दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की **उपयोग में नहीं लायी जा सकी** किसी राशि **कोउस** वर्ष **के** लिए **देय** तारीख **के भीतर** पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा **किया** गया है **?** ☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं **होता,** यदि हाँ**, तो ब्यौरें उपलब्ध कराएँ**							
				क्रम संख्या	पूर्व वर्ष में **जिसमें** आस्तियां अंतरित की गई **है**	**वह धारा जिसके अधीन** उस वर्ष में कटौती **का दावा किया गया है**	**न**ई आस्तियां अर्जित **/निर्मित** की गई **है** वर्ष **जिसमें** आस्तियां अर्जित **/निर्मित** की गई **है**	पूंजी अभिलाभ **खाता** में से **उपयोग** की गई न ई राशि	**न**ई आस्तियों के लिए उप**योग** नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x)में उप**योग**में नहीं **लाई** गई बची हुई राशि		

				i	**2021-22**	**54छ/54छक**						
				ii	**2022-23**	**54छ/54छक**						
				iii	**2023-24**	**54छ/54छक**						
			ख	**धारा 54छ/54छक** के अधीन 'क' से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि								
			ग	अधिनियम की धारा 45(4) के धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार मानी जा सकने वाली अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि							**7ग**	प्रपत्र 5ग का क्रम सं. 4ख
				लघुअवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि **(xi + xii+ xiii+ख+ग)**							**क7**	
		8	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें)(क8क**i**+क8क**ii**+क8ख+क8ग)								**क8**	
			क**i**	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास,**15%** की दर से प्रभार्य					क8क**i**			
			क**ii**	लघु अवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/हानि में माध्यम से पास, **25%** की दर से प्रभार्य					क8क**ii**			
			ख	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास,**30%** की दर से प्रभार्य					अ**8**ख			
			ग	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य					अ**8**ग			
		9	क 1 **–** क8 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जिस पर भारत में डीटीएए के अनुसार कर से प्रभार्य धन का दावा नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है									

क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीएए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एक्ट की धारा	आइटी एक्ट के अनुसार दर	लागू दर(6 या 9 से कम)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
I									
II									

			क	डीटीएए के अनुसार भारत में अप्रभार्य कर के दावे की कुल राशि		**क9 क**	
			ख	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभार्य कर के दावे की कुल रकम		**क9 ख**	
			क(क)	शेयर वापिस खरीदने पर पूंजी हानि 1 अक्टूबर, **2024** को या के पश्चात् (केवल तभी दावा की जा सकती है, यदि धारा 2(22) (च) के अधीन कृत्रिम लाभांश आय आफर की जाए) **[**लघु अवधि पूंजीगत हानि, **20%**/30**%**दर पर/ लागम दर **]**			
		10	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ **(क1 ङ+ क2 ग+ क3 ङ + क4 क+ क4ख+ क5 ङ + क6छ + क7 + क 8 - क 9क)**			**क 10**	

	ख	**दीर्घकालिक** पूंजी अभिलाभ **(**एलटीसीजी **) (**अनिवासियों **के** लिए उप-मद **6, 7 और 8** लागू नहीं **)**							
		1	भूमि या भवन या दोनों **के** विक्रय से(प्रत्येक संपत्ति के ब्यौरे पृथक् रूप से भरें)(क से च तक)(सह-स्वामित्व के मामले में, पूंजीगत लाभ का अपना हिस्सा दर्ज करें)						
			क्रय/अधिग्रहण की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	बिक्री/स्थानांतरण की तारीख	तारीख/मास/वर्ष			
			क	**i**	**प्राप्त /प्राप्य** प्रतिफल **का पूरा मूल्य**		**कi**		
				ii	**स्टांप** मूल्यांकन प्राधिकारी **के** अनुसार संपत्ति **का** मूल्य		**कii**		
				iii	पूंजी अभिलाभ **के** प्रयोजन **के** लिए **धारा 50**ग **के** अनुसार अंगीकृत प्रतिफल **का पूरा** मूल्य **[**किसी दशा में **(**क**ii) (**क**i)** का **1.10** गुणा से अधिक नहीं होता है तो **(**क**i)** के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा **(**क**ii)** लें**]**		**कiii**		
			ख	**धारा 48 के** अधीन **कटौतियाँ**					
				i	अधिनियम की धारा **48** के खंड**(III)** नियम **8**कख से साथ पठित के अनुसार कमी		**ख i**		

				ii	अर्जन की लागत	ख ii		
				iiक	सूचीकरण **के** बिना अर्जन की लागत	ख iiक		
				iiख	सूचीकरण **के** बिना सुधार की कुल लागत 23 जुलाई, **2024** से पूर्व किए गए अंतरणों के लिए	ख iiख		
					(क) सुधार की लागत सूचीकरण **के** बिना			
					(ख) सुधार वर्ष			
					(ग) सूचीकरण **के** साथ सुधार की लागत(ख और ग केवल तभी लागू होते हैं यदि अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व होता है)			
					पंक्ति सम्मिलित करें			
				iii	**पूर्णतया और** अनन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iii		
				iv	**योग (** जहां अंतरण 23 जुलाई, **2024** से पूर्व होता है, **ख i + ख iiक +** ∑**ख iiख**(ग) **+ ख iii ,** जहां अंतरण 23 जुलाई **, 2024** को या के पश्चात् होता है, **ख i + ख ii +** ∑**ख iiख**(क) **+ ख iii)**	ख iv		
			ग		शेष **(क iii – ख i v)**	1 ग		
			घ		**धारा** 54घ/ **54** ङग/ **54** छ **/54** छ**क के** अधीन कटौती *(नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)*	1 घ		
			ङ		**स्थावर** संपत्ति पर **दीर्घकालिक** पूंजी अभिलाभ **(1 ग - 1 घ)**		ख 1 ङ	
			च		स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें **(**टिप्पण देखें**)**			

क्र.सं.	क्रेता(ओ) के नाम	क्रेता(ओं) का स्थायी लेखा संख्या/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड , जिप कोड	पिन कोड	राज्य

टिप्पण ► यदि धारा **194-**झक के अधीन कर की कटौती हुई है, तो स्थायी लेखा संख्यांक/आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक
एक से अधिक क्रेता की दशा में, कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें ।

			छ		स्थावर संपत्ति पर कुल दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (∑ख1ड़), जहां अंतरण – (क) 23 जुलाई, **2024** से पूर्व किया गया था(23 जुलाई 2024 से पूर्व अंतरित सभी संपत्तियों पर पूंजी अभिलाभ का जोड़) (ख) 23 जुलाई, **2024** के पश्चात् किया गया था(23 जुलाई 2024 के पश्चात् अंतरित सभी संपत्तियों पर पूंजी अभिलाभ का जोड़)			
		2	**स्लम्प बिक्री से**				जहां अंतरण 23 जुलाई, **2024(i)** से पूर्व किया गया था	जहां अंतरण 23 जुलाई, **2024(ii)** को या के पश्चात् किया गया था
			क	i	नियम 11प.**क.ङ (2)** के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कi		
				ii	नियम 11प.**क.ङ** (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii		
				iii	प्रतिफल **का** पूरा मूल्य(क i या क ii का अधिकतम)	2कiii		
			ख		वचनबंध या विभाजन **का** शुद्ध मूल्य	2ख	[*6ड़ प्ररूप 3गड़क*]	[*6ड़ प्ररूप 3गड़ क*]

			ग	शेष **(2कiii – 2 ख)**		2ग				
			घ	**धारा 54ङ**ग **के** अधीन कटौती		2घ				
			ङ	**स्लम्प के** विक्रय से **दीर्घकालिक** पूंजी अभिलाभ **(2**ग **- 2 घ)**						
		3	**असूचीबद्ध बंध पत्रों या असूचीबद्ध डिबेंचरों के** विक्रय से निवासीयों से **(सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)**(केवल वहीं लागू होगा जहां अंतरण 23 जुलाई, **2024** से पूर्व हुआ था)						
			क	प्रतिफल **का पूरा मूल्य**		3क				
			ख	**धारा 48 के** अधीन **कटौतियाँ**						
				i	नियमों के नियम 8कख के साथ पठित अधिनियम धारा 48 के खंड (**iii**) के अनुसार कमी)	ख i				
				ii	सूचीकरण **के** बिना अर्जन की लागत	ख ii				
				iii	सूचीकरण **के** बिना सुधार की लागत	ख iii				
				iv	**पूर्णतया** या अनन्यता **के** अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv				
				v	**योग (ख i + ख ii + ख iii)**	ख v				
			ग	**बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घकालिक** पूंजी अभिलाभ **(3 क – 3 ख iv)**					ख 3ग	
		4	धारा 112(1) के अनुसार सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र के विक्रय से				जहां अंतरण **23** जुलाई, **2024** से पूर्व किया गया था	जहां अंतरण 23 जुलाई, **2024** को या के पश्चात् किया गया था		
			क	प्रतिफल **का पूरा मूल्य**		4क				
			ख	**धारा 48 के** अधीन **कटौतियाँ**						
				i	नियमों के नियम **8**कख के साथ पठित अधिनियम धारा **48** के खंड (**iii)** के अनुसार कमी)	ख i				
				ii	सूचीकरण **के** बिना अर्जन की लागत	ख ii				
				iiक	सूचीकरण **के** बिना अर्जन की लागत(जहां अंतरण **23** जुलाई, **2024** से पूर्व किया गया था, अधिक्य कर की संगणना के प्रयोजन के लिए केवल लागू होता है, जिसे धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अपेक्षित किया जाए	ख iiक				
				iii	सूचीकरण के साथ सुधार की लागत	खiii				
				liiक	सूचीकरण **के** बिना सुधार की लागत(जहां अंतरण **23** जुलाई, **2024** से पूर्व किया गया था, केवल अधिक्य कर की संगणना के प्रयोजन के लिए लागू होता है**)**	**ख liiक**				
				lv	**पूर्णतया** या अनन्यता **के** अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv				
				v	**योग (** जहां अंतरण **23** जुलाई, **2024** से पूर्व किया गया था **ख i + ख ii + ख iii + ख iv)**(**ख i + ख ii क + ख iii क + ख iv** ,जहां अंतरण **23** जुलाई, **2024** से पूर्व या पश्चात किया गया था**)**	ख v				
				vक	**योग (ख i + ख ii + ख iii)**(धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अधिक्य की संगणना के प्रयोजन के लिए) **(**जहां अंतरण **23** जुलाई, **2024** से पूर्व किया गया था**)**	खvक				
			ग	**पूर्वोक्त ख 4** पर आस्तियों पर **दीर्घकालिक** पूंजी अभिलाभ **(4 क - 4 ख v)**			ख 4 ग	(i)	(ii)	

			गक	उपर ख**4** पर आस्तियों पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ**,** जहां अंतरण **23** जुलाई**, 2024** से पूर्व हुआ था (**4**क - **4v**क) (धारा **112(1)** के परंतुक के अनुसार अधिक्य की संगणना के प्रयोजन के लिए)	**ख4गक**			
			घ	धारा **112(1)(**क)(**ii)(**क) या **112(1) (**ग)(**ii)(**क) के अनुसार कर [सूचीकरण के बिना **25%** पर एलटीसीजी] [ख**4 (**गक**)* 20%] (** वहां लागू होता है जहां अंतरण **23** जुलाई **2024** से पूर्व हुआ था)	**ख4घ**			
			ड.	धारा **112(1)** के पहले परंतुक के अनुसार कर [सूचीकरण के बिना **10%** पर एलटीसीजी][ख**4(**गक)***10%][**लागू वहीं होता है जहां अंतरण **23** जुलाई**, 2024** से पूर्व लागू होता है]	**ख4ड.**			
			च	धारा **112(1)** के पहले परंतुक के अनुसार उपेक्षा किए जाने के लिए अपेक्षित अधिक्य रकम **[**ख**4(**घ)- ख **4**(ड़)][वहां लागू होता है जहां अंतरण **23** जुलाई**, 2024** से पर्वू हुआ था]	**ख4च**			
		5		किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा **112**क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से				
				उपर्युक्त ख**5** पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ **(** अनुसूची **112** क के कॉलम **14)**		**ख5**		
				(i)स्तंभ 14 का जोड़ जहां अंतरण 23 जुलाई**, 2024** से पूर्व होता है		**ख5i**		
				(ii) स्तंभ 14 का जोड़**,** जहां अंतरण 23 जुलाई**, 2024** को या के पश्चात् होता है		**ख5ii**		
		6		अनिवासियों **के** लिए **- भारतीय** कंपनी **के शेयरों** या **डिबेंचरों** की विक्रय से**(धारा 48 के प्रथम** परन्तुक **के** अधीन **विदेशी मूद्रा समायोजन के साथ संगणित** किया जाएगा)				
				इंडेक्सेशन लाभ के बिना शेयर या डिबेंचर पर एलटीसीजी **i.23** जुलाई 2024 से पूर्व-सूचीबद्ध डिबेंचर **ii.23** जुलाई 2024 से पूर्व- सूचीबद्ध डिबेंचर से भिन्न **iii.23** जुलाई 2024 को या के पश्चात् (केवल असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)		**ख6** **ख6i** **ख6ii** **ख6iii**		

		7	अनिवासियों **के** लिए **- (i) धारा 112(1)(ग), के** अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां**, (ii) धारा 115कख** में **निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115क**ग में **निर्दिष्ट** बंध पत्रों या जीडीआर**, (iv) धारा 115कघ** में **निर्दिष्ट** एफआईआई **प्रतिभूतियों के** विक्रय **से**							
			क	**I**	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।				
					क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	**iक**		
					ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	**iख**		
					ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	**i**ग		
				Ii		गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	**क ii**		
				iii		कुल **(i**ग **+ ii)**	**क iii**		
			ख	**धारा 48 के** अधीन **कटौतियाँ**					
				i		नियमों के नियम **8**कख के साथ पठित अधिनियम की धारा **48** के खंड (**i i i)** के अनुसार कमी	**ख i**		
				ii		सूचीकरण **के** बिना अर्जन की लागत	**ख ii**		
				iii		सूचीकरण **के** बिना सुधार की लागत	**ख iii**		
				iv		**पूर्णतया** या अनन्यता **के** अंतरण से संबंधित व्यय	**ख iv**		
				v		**योग (ख i + ख ii + ख iii)**	**ख v**		
			ग	अनिवासियों की **दशा में** आस्तियों पर ऊपर **7** पर **दीर्घकालिक** पूंजी अभिलाभ **(7 क - 7 ख iv)**					**ख 7 ग**	
				i		जहां अंतरण **23** जुलाई**, 2024** से पूर्व हुआ था [**7(i), 7(ii)** और **7(iii)** को लागू]			**ख7गi**	

			ii	जहां अंतरण **23** जुलाई, **2024** को या के पश्चात हुआ था [**7(i), 7(ii)** और **7(iii)** को लागू]	**ख7गi i**	
			iii	धारा **115** कघ में निर्दिष्ट एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय से	**ख7गi i i**	
		8		एफआईआई/एफपीआई (अनिवासियों) किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 115 कघ के साथ पठित धारा **112**क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से		
				उपर्युक्त ख**8** में पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ(**115**कघ**(1)**(ख)**(iii)** परंतुक के कॉलम 14**(iii))(8 i+8 i i)**	**ख8**	
			i	स्तंभ **14** का जोड़ जहां अंतरण **23** जुलाई, **2024** से पूर्व हुआ था	ख8 **i**	
			ii	स्तंभ **14** का जोड़ जहां अंतरण **23** जुलाई, **2024** को या के पश्चात हुआ था	ख8 **i i**	
		9				

आस्तियों के विक्रय से जहाँ ऊपर **ख 1** से**ख 8** लागू नहीं **होते हैं**				जहां अंतरण **23** जुलाई, **2024** से पूर्व हुआ था**(i)**	जहां अंतरण **23** जुलाई, **2024** को या के पश्चात हुआ था
क	**I**		विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।			
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	**iक**		
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	**iख**		
		ग	पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	**iग**		
	Ii		गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	**क ii**		
	iii		कुल **(iग + ii)**	**क iii**		
ख	**धारा 48 के** अधीन **कटौतियाँ**					
	i		नियमों के नियम **8**कख के साथ पठित अधिनियम की धारा **48** के खंड **(i i i)** के अनुसार कमी	**ख i**		
	ii		सूचीकरण **के** साथ अर्जन की लागत अंतरण के लिए 23 जुलाई, 2024 से पूर्व तथा बिना सूचीकरण के अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात किया गया	**ख ii**		
	iii		सूचीकरण के साथ सुधार की लागत के लिए अंतरण 23 जुलाई से पूर्व किया गया तथा बिना सूचीकरण के लिए अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात किया गया	**ख iii**		
	iv		**पूर्णतया** या अनन्यता **के** अंतरण से संबंधित व्यय	**ख iv**		
	v		**योग (ख i + ख ii + ख iii**+ख **iv)**	ख**v**		
ग	अतिशेष **(क iii– खv)**			**9 ग**		
घ	**धारा 54घ/धारा 54**छ **/धारा 54**छ**क के** अधीन कटौती (नीचे मद **घ** में **ब्यौरे विनिर्दिष्ट** करें)			**9 घ**		

			ऊपर **ख 9** पर आस्तियों पर **दीर्घकालिक** पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण **(9**ग-**घ)**	**ख 9 ङ**	
		ङ	**(i)** 23 जुलाई, 2024 से पूर्व	**ख9ङ i**	
			(ii)23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात	**ख9ङ i i**	
		10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि		

क्या नीचे दिखाए गए पूर्व **वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है**

☐ हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं नही होता , यदि हाँ, तो ब्यौरें उपलब्ध कराएं

क्रम संख्या	पूर्व वर्ष में **जिसमें** आस्तियां अंतरित की गई **है**	**वह धारा जिसके अधीनउस** वर्ष में **जिसमें कटौती का दावा किया गया**	**नई** आस्तियां अर्जित **/निर्मित** की गई **है**		**नई** आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता खाता **(X)**में उपयोग में नहीं **लाई गई बची हुई** राशि	क्या परिसीमा/निकासी की तारीख **23** जुलाई**, 2024** से पूर्व थी
			वर्ष **जिसमें** आस्तियां अर्जित **/निर्मित** की गई **है**	पूंजी अभिलाभ **खाता** में से**उपयोग** की गई राशि		
i	**2021**-2**2**	**54घ/54**छ**/54**छ**क**				
ii	**202**2-**2**3	**54घ/54**छ**/54**छ**क/54छक**				
iii	**202**3-**2**4	**54घ/54**छ**/54**छ**क**				

ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि **(i+ii)**		ख	
i	जहां मानित दीर्घअवधि पूंजी अभिलाभ **23** जुलाई**, 2024** से पूर्व उद्भूत हुआ		ख **i**	
ii	जहां मानित दीर्घअवधि पूंजी अभिलाभ **23** जुलाई**, 2024** को या के पश्चात उद्भूत हुआ		ख **i i**	
ग	अधिनियम की धारा **45(4)** के धारा **9**ख के साथ पठित के अनुसार मानी जा सकने वाली अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि		**10**ग	प्रपत्र **5**ग का क्रम सं. **4**ख
i	जहां मानित दीर्घअवधि पूंजी अभिलाभ **23** जुलाई**, 2024** से पूर्व उद्भूत हुआ		10ग**i**	
ii	जहां मानित दीर्घअवधि पूंजी अभिलाभ **23** जुलाई**, 2024** को या के पश्चात उद्भूत हुआ		10ग**ii**	
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि **(**क**xi** +क **xii**+ क**xiii**+**ख**+ग**)**		**ख10**	
i	जहां मानित दीर्घअवधि पूंजी अभिलाभ **23** जुलाई**, 2024** से पूर्व उद्भूत हुआ		**ख10i**	
ii	जहां मानित दीर्घअवधि पूंजी अभिलाभ **23** जुलाई**, 2024** को या के पश्चात उद्भूत हुआ		**ख10ii**	
11	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास थ्रू आय **,** ***(***अनुसूची तनझ भरें***) (*** ख11क***1(i) +*** ख11क1***(i i)+***ख11क2***(i)+*** ख11क2***(i i)+*** ख11क2ख***)***		ख**11**	

क1**(i)**	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10**%** की दर से प्रभार्य	ख**11**क1		
क**1 (i i)**	दीर्धअवधि पूंजीगत आय/हानि की प्रकृति के माध्यम से पास धारा **112**क के अधीन **12.5%** की दर पर प्रभार्य	ख**11**क**1 (i i)**		
क2	धारा112क के अंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10**%** की दर से प्रभार्य	ख**11**क2**(i)**		
क2 (**i i**)	दीर्धअवधि पूंजीगत आय/हानि की प्रकृति के माध्यम से पास धारा 112क के अधीन 12.5% की दर पर प्रभार्य	ख11क2 (**i i**)		
ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20**%** की दर से प्रभार्य	ख**11**ख		

		12	ख 1 से ख11 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जिस पर भारत में डीटीएए के अनुसार कर से प्रभार्य होने का दावा नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है										
			क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. ख 1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीएए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एक्ट की धारा	आइटी एक्ट के अनुसार दर	लागू दर(6 या 9 से कम)	
			(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	
			I										
			II										
			क	**डीटीएए के** अधीन भारत में एलटीसीजी दावा की गई दावा की गई अप्रभार्य नहीं **कर** की कुल राशि								**ख12क**	
			ख	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एलटीसीजी दावा की गई प्रभार्य कर की कुल राशि								**ख12ख**	
			ख(क)	1 अक्टूबर, 2024 को या के पश्चात शेयर वापिस खरीदने पर पूंजी हानि अनिवासियों के लिए धारा 115कघ के अधीन कवर संव्यवहारों के लिए दीर्घावधि 12.5% की दर पर								**ख(क)**	
		13	कुल **दीर्घकालिक** पूंजी अभिलाभ **(ख 1ङ + ख 2ङ + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8 - ख 9च + ख10 + ख11 - ख12क+ ख(क))**									**ख13**	

	ग1	पूंजीगत अभिलाभ राशि (सारणी ङ के 11**ii**+11**iii**+11**iv**+11**v**+11**vi**+11**vii**+11**viii**+11**ix**+11**x**)						ग1	
	ग2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय(अनुसूची वी.डी.ए के स्तंभ 7 में समस्त सकारात्मक आय की राशि)						ग2	
	ग3	"पूंजीगत लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय (ग1+ग2)						ग3	
	घ	पूंजीगत लाभ के विरुद्ध कम किए गए दावे के बारे में सूचना							
		1	**धारा 54घ / धारा 54ङग/धारा 54छ /धारा 54छक के** अधीन कटौती की **दशा में हानि निम्नलिखित ब्यौरे दें ***						
			क	54 **घ** के अधीन किया गया कटौती का दावा					
				i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख		**क i**	दिन/मास/वर्ष	
				ii	नई भूमि या आद्योगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/सनिर्माण की लागत		**क ii**		
				iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख		**क iii**	दिन/मास/वर्ष	
				iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम		**क iv**		
					(**iv**क) जमा की तारीख	(**iv**ख) लेखा संख्या	(**iv**ग) आई एफ एस कोड		
					दिन/मास/वर्ष				
				v	कम किए गए दावे की रकम		**क v**		
			ख	54ङ.ग के अधीन कम किया गया दावा					
				i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		**ख i**	दिन/मास/वर्ष	
				ii	विनिर्दिष्ट या अधिसूचित बंधपत्रों में निवेश की रकम (50 लाख से अधिक नहीं)		**ख ii**		
				iii	निवेश की तारीख		**ख iii**	दिन/मास/वर्ष	
				iv	कम किए गए दावे की रकम		**ख iv**		
			ग	54छ के अधीन कम किया गया दावा					
				i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		**ग i**	दिन/मास/वर्ष	
				ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय		**ग ii**		
				iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख		**ग iii**	दिन/मास/वर्ष	

				iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम		ग iv		
					(ivक) जमा की तारीख	(ivख) लेखा संख्या	(ivग) आई एफ एस कोड		
					दिन/मास/वर्ष				
				v	कम किए गए दावे की रकम		ग v		
			घ	54छक के अधीन कम किया गया दावा					
				i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		घi	दिन/मास/वर्ष	
				ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय		घii		
				iii	सेज में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख		घiii	दिन/मास/वर्ष	
				iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम		घiv		
					(ivक) जमा की तारीख	(ivख) लेखा संख्या	(ivग) आई एफ एस कोड		
					दिन/मास/वर्ष				
				v	कम किए गए दावे की रकम		घv		
			ङ	कुल **दावाकृत** कटौती **(1क + 1ख +1**ग **+1घ)**			1 ङ		

ङ	पूंजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूंजी **हानि** को चालू वर्ष **के** पूंजी अभिलाभ **के साथ मुजराई करना** (ए-8 **और बी-9**में **सम्मिलित डीटीएए के** अधीन **प्रभार्य रकम के सिवाय**)													
	क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ **का प्रकार**		चालू वर्ष **का** पूंजी अभिलाभ **(**इस **स्तंभ** को **केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)**	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ **हानि**					दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ **हानि**				**मुजराई के पश्चात** चालू वर्ष **के** पूंजी अभिलाभ **11= 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)**
					15%	20%	**30%**	लागू दर	डीटीएए दर	**10%**	12.5%	**20%**	डीटीएए दर	
				1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	8	**9**	**10**	**11**
	i	मुजराई की जाने वाली पूंजी हानि **(**इस स्तंभ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक नकारात्मक हों**)**			*(*अ*3ङ** + अ**4क*** + अ**8क**)*	(क3ङ **ii**+क 4क**ii** +क8 क**ii**+ क(क)	अ*5 ङ ** + अ8 **ख***+ क(क)	*(*अ*1ङ *+* अ*2*ग* + अ*4ख** + अ*6छ** + अ*7**+ अ8ग **)* + क(क)	अ**9ख ***	*ख5i+ख6ii+ख 7i+ख7गiii+ख 8i+ख11क1i+ ख11क2i+ख(क)*	ख *1*छख+ख*2* ङ*ii+*ख*4*ग*ii+* ख*5ii+*ख*6iii+* ख *7*ग*ii+*ख*8ii +*ख*9*ङ*ii+*ख *1 0ii+*ख *11*क *1ii +*ख *11*क *2ii+* ख(क)	*(*आ**1**ङछक* + आ*2ङ*ग* + आ3*ग*आ4गi + आ**6i*+** आ*9ङ*ग** + आ *10i+* आ *11*ख*)*	आ *12*ख	
	ii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	**15%**	*(*अ*3ङ*ग** + अ**4कi*** + अ**8कi**)*										
	iii		**20%**	*(*क*3*ङ*ii+*क*4*क*ii +*क*5*क*ii+*क(क)										
	iv		**30%**	अ*5ङ * +* अ**8ख+** क(क)*										
	v		लागू दर	*(*अ*1ङ*+* अ*2*ग*+ अ*4ख*+* अ*6छ* +* अ*7*+* अ8ग **+* क(क)*)*										
	vi		डीटीएए दर	अ**9ख***										

	Vii	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	**10%**	आ**5*i+** ख6**ii+** *आ7*ग**i+** +ख7ग**iii+**आ**8i*** **+** आ**11क1i*+** आ**11क2i*+**ख(क**))**										
	viii		12.5%	ख1छख+ख2ङ**ii+** ख4ग**ii+**ख5**ii+**ख6 **iii+** ख7ग**ii+**ख8**ii+**ख9 ङ**ii+**ख10**ii+**ख11 क1**ii+**ख11क2**ii+** ख(क)										
	ix		**20%**	***(***आ**1**छक*** **+** आ***2ङ-i*** **+** *आ3*ग* **+**ख4ग***i+*** आ**6i*+** आ***9ङ-i*** **+** आ***10i+*** आ***11*ख)**										
	x		डीटीएए दर	आ***12*ख**										
	Xi	कुल **हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii+ix+x)**												
	xii	**मुजरा के पश्चात** शेष **हानि (i –xi)**												
			इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ**1**ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (अ**1**-अ**8**) वैसे ही प्रतिभूतियों के मुजरा के पश्चात में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रभार्य हैं, एसटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है ।										
			इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ**1**ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (अ**1**-अ**11**) वैसे ही प्रतिभूतियों के मुजरा के पश्चात में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीएए के अनुसार विशेष दर से प्रभार्य है, एलटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है ।										

च	पूंजी अभिलाभ **के** उद्भूत **/प्राप्ति के विषय में सूचना**						
		पूंजी अभिलाभ **का प्रकार /** तारीख	**15/6** तक **(i)**	**16/6** से**15/9 (ii)**	**16/9** से**15/12 (iii)**	**16/12** से**15/3 (iv)**	**16/3** से**31/3 (iv)**
	1	**15%** की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ **अनुसूची** बीएफएलए की मद ***5vi*** से मूल्य **भरें ,** यदि कोई **हो तो**					
	2	**20%** की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ **अनुसूची** बीएफएलए की मद ***5vi***क से मूल्य **भरें ,** यदि कोई **हो तो**					
	3	**30%** की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ **अनुसूची** बीएफएलए की मद ***5vii*** से मूल्य **भरें ,** यदि कोई **हो तो**					
	4	लागू दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ **अनुसूची** बीएफएलए की मद ***5viii*** से मूल्य **भरें ,** यदि कोई **हो तो**					
	5	डीटीएए दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5ix से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
	6	**10%** की दर से प्रभार्य **दीर्घकालिक** पूंजी अभिलाभ **अनुसूची** बीएफएलए की मद ***5x*** से मूल्य **भरें ,** यदि कोई **हो तो**					
	7	**12**.5**%** की दर प्रभार्य **दीर्घकालिक** पूंजी अभिलाभ **अनुसूची** बीएफएलए की मद ***5x***ख से मूल्य **भरें ,** यदि कोई **हो तो**					
	8	**20%** की दर से प्रभार्य **दीर्घकालिक** पूंजी अभिलाभ **अनुसूची** बीएफएलए की मद ***5xi*** से मूल्य **भरें ,** यदि कोई **हो तो**					
	9	डीटीएए दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5x**ii** से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
	10	आभासी डिजिटल परिसंपति के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ पर 30**%** की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 17ख से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)					

अनुसूची-112क	किसी कंपनी या इक्विटी ओरएंटेड निधि की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता														
क्रम सं..	अर्जित शेयर/ इकाई 31 जनवरी, 2018 को या पूर्व/पश्चात्	अंतरित शेयर/ यूनिट (23 जुलाई, 2024 को या पूर्व/पश्चात्)	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशनके बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहणकिया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2) (कग)- (4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) – आईटीआर-5 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5 (क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 1ख)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)		(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1																
2																
3																
4																
	पंक्ति जोड़ें															
	i.स्तंभ 14 का योग, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था। ii.स्तंभ 24 का योग, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् हुआ था iii.धारा 112क के अधीन एसटीसीजी का योग														

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii)परंतुक	गैर-निवासियों के लिए किसी कंपनी या इक्विटी ओरिएंटेड निधि की इकाई या करोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 115कघ(1)(ख)(iii) के परंतुक के साथ पठित धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है

क्रम सं..	अर्जित शेयर/ इकाई31 जनवरी, 2018 को या पूर्व/पश्चात्	शेयर/ यूनिट अंतरित (23 जुलाई, 2024 को या पूर्व/पश्चात्)	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहणकिया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)- (4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) – आईटीआर-5 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 8 (क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 1ख)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1															
2															
3															
4															
	पंक्ति जोड़ें														
	i.स्तंभ 14 का योग, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व हुआ था। ii.स्तंभ 24 का योग, जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् हुआ था iii.धारा 115कघ (1)(ख)(iii) के परंतुक से साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीसीजी का योग														

अनुसूची वी.डी.ए	**आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (टिप्पणः जहां प्रत्येक 'हस्तांतरण' संव्यवहार है, प्रत्येक संव्यवहार के ब्यौरे भरे जाएंगे)**					
क्रम सं.	**अधिग्रहण की तिथि**	**अंतरण की तिथि**	**पूंजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)**	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा **56(2)(x)** के तहत राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	**आभासी डिजिटल परिसंपति अंतरण से आम(हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 – स्तंभ 5)**
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियां						
क कुल (स्तंभ 7 में व्यावसायिक आय की सभी सकारात्मक आय का योग)						**(अनुसूची बी पी का मद सं . 3 च)**
ख कुल (स्तंभ 7 में पूंजीगत लाभ की सभी सकारात्मक आय का योग)						**(अनुसूची सी.जी का मद सं .ग2)**

अनुसूची-अन्य **स्रोत**	अन्य **स्रोतों** से आय					
अन्य **स्रोत**	**1**	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य **(1क + 1ख + 1**ग **+ 1**घ **+ 1**ङ**)**			**1**	
	क	**लाभांश , सकल**		**1क**		
	i	धारा 2(22)(ड़) के तहत लाभांश आय(क**i+**क**ii+**क**iii)**	क**i**			
	ii	(ii) या (iii) के अलावा लाभांश आय	क**ii**			
	Iii	धारा 2(22)(च) के अधीन लाभांश आय	क**iii**			
	ख	ब्याज **, सकल (ख**i **+ ख**ii **+ ख**iii **+ ख**iv**+ ख**v**)**		**1ख**		
	i	बचत खाता से	ख**i**			
	ii	जमा से **(**बैंक**/** डाकघर**/**सहकारी सोसाइटी**)**	ख**ii**			
	iii	आय कर प्रतिदाय से	ख**iii**			
	iv	पास थ्रु आय की प्रकृति की आय/हानि में	ख**iv**			
	v	अन्य	ख**v**			
	ग	**मशीनरी , संयंत्रों ,** भवनों से **किराए** की आ**य**		**1**ग		
	घ	धारा **56(2) (**भ**)** में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है **(**घ**i + ** घ**ii + ** घ**iii + ** घ**iv + ** घ**v)**		**1घ**		
	I	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का कुल मूल्य	घ**i**			
	Ii	प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घ**ii**			
	Iii	अपर्याप्त प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का स्टांप शुल्य मूल्य	घ**iii**			
	Iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घ**iv**			
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घ**v**			
	ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		**1**ङ		
		क्र.सं.	प्रकृति	राशि		
		1	धारा 56 (2)(**xii**) में यथा निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी कारबार न्यास से किसी इकाई धारक द्वारा प्राप्त कोई विनिर्दिष्ट रकम			
			आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है			
	2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय **(2**क**(i)+ 2**क**(ii)+2**ख **+ 2**ग **+ 2**घ **+ 2**ङ क्रम सं.**1** से संबंधित **)**			**2**	
	क**i**	**धारा 115खख के अधीन लॉटरी, वर्ग पहेली,दौड़ और कार्ड गेम आदि जीतने से हुई आय**		**2**क		

		कii	**धारा 115 खखञ** के अधीन प्रभार्य ऑनलाइन गेम जीतने से हुई आय				**2**कख		
		ख	**धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय** (ख**i** + ख**ii** + ख**iii** + ख**iv** + ख**v** + ख**vi**)				2ख		
			i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	ख**i**				
			ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	ख**ii**				
			iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	ख**iii**				
			iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	ख**iv**				
			v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	ख**v**				
			vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	ख**vi**				
		ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय *(*गi से गx*xiii* का योग*)*				**2** ग		
			i	धारा 115 क (1) क क के परन्तुक से भिन्न धारा 115 क (1) (क) (क) के अधीन प्रभार्य, अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	ग **i**				
			iक	धारा 115 क (1) (क)(क) के परन्तुक के अधीन प्रभार्य अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या धारा 80 ठफ की उपधारा 1क में यथा निर्दिष्ट, किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के इकाई से किसी विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	ग **i**क				
			ii	धारा **115**क**(1)**(क)**(ii)** के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी संस्था या विदेशी मुद्रा ऋणों से प्राप्त ब्याज	ग **ii**				
			iii	धारा **115**क**(1)**(क)**(ii**क**)** के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	ग **iii**				
			iv	धारा **115**क**(1)**(क)**(ii**कक**)** के अधीन प्रभार्य धारा **194** ठ ग(1) **@5%** में निर्दिष्ट ब्याज	ग **iv**				
			v	धारा **115**क(**1)**(क)(**ii**कक) के अधीन प्रभार्य धारा **194**ठग(**1) @4%** में निर्दिष्ट ब्याज	ग **v**				
			vi	धारा **115**ए**(1)**(क)**(ii**कख**)** के अधीन प्रभार्य धारा **194**ठ घ में निर्दिष्ट ब्याज	ग **vi**				
			vii	धारा **194**ठखक में निर्दिष्ट ब्याज वाली वितरित आय-धारा **115(1)**(क)**(ii**कग**)** के अधीन प्रभार्य	ग **vii**				
			viii	विदेशी मुद्रा में खरीदी गई धारा **10(23**घ**)** में विनिर्दिष्ट यू टी आई या अन्य पारस्परिक निधि की यूनिटों से आय-धारा **115**क**(1)**(क)**(iii)** के अधीन प्रभार्य	ग **viii**				
			ix	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय – धारा **115**क**(1)**(ख)**(**क**) & 115**क**(1)**(ख)**(**ख**)** के अंतर्गत प्रभार्य	ग **ix**				
			x	धारा **115**कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड के लाभांश पर आय	ग **x**				
			xi	धारा **115**कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	ग **xi**				
			xii	**(115**कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न**)** प्रतिभूतियों के संबंध में एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त आय	ग xii				
			xiii	धारा **194**ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई दरों ब्याज द्वारा प्राप्त आय-धारा **115**कघ**(1)(i)** के अनुसार प्रभार्य	ग xiii				
			xiv	धारा **115**खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर	ग xiv				
			Xv	कतिपय मामलों में अनाम संदान – धारा **115**खखग के अधीन प्रभार्य	ग xv				
			xvi	धारा **115**खखच के अधीन प्रभार्य-भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंन्ट से स्वामिस्व द्वारा आय	ग xvi				
			xvii	धारा **115**खखछ के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण द्वारा आय	ग xvii				
			xviii	धारा **115**ङ के अधीन प्रभार्य-अनिवासी भारतीय की निवेश आय	गxviii				
			xix	ऑफशोर निधि की इकाइयों के संबंध में आय 115कख(1)(क)	ग xix				
			xx	धारा **115**कघ**(1)(i)**के तहत प्रभार्य धारा **115**कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xx				
			xxi	धारा **115**कघ**(1)(i)**के तहत प्रभार्य धारा **115**कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	ग xxi				

			xxii	धारा **115**कघ**(1)(i)** के तहत प्रभार्य- (धारा 115कख में संदर्भित इकाइयों के अलावा) प्रतिभूतियों के संबंध में निर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त आय (लाभांश के अलावा)		ग xxii								
		घ	विशेष दरों पर प्रभार्य का दावा की गई अन्य स्त्रोंतों से आय की प्रकृति में पास थ्रू आय **(**ड्रापडाउन प्रदान किया जाए*)*										**2**घ	
		ङ	ऊपर **1** और **2** में सम्मिलित जो डीटीटीएए के अनुसारभारत में विशेष दरों पर प्रभार्य राशि **2** च **(**नीचे सारणी के स्तंभ *(2)* का योग*)*										**2ङ**	
			क्रम सं.	आय की रकम	जिसमें मदु सं० 1क**i,**1क**iii,** **1**ख से 1घ**,** **2**क से 2घ सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीडीएए का अनुच्छेद	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो कुछ नहीं प्रविष्ट कर)	क्याटी आरसी प्राप्त की गई है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्न)		
			(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**		
			I											
			II											

	3	**धारा 57 के** अधीन **कटौतियाँ** *(*आर्य प्रभार्य से संबंधित विशेष दरों के अधीन 2क,2ख,2ग, 2घ एवं 2ङ के आलावा*)*					
		क	व्यय **/ कटौतियाँ** "ग" में इंदराज के अलावा	**3क**			
		ख	अवक्षयण **(**केवल तभी उपलब्ध यदि 1ग में आय दी जाती है**)**	**3ख**			
		ग	धारा **57(1)** के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब **1(**क) (**i**) और /या 1क(**ii**) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज	**3**ग			
		ग**i**	धारा **57(i)** के तहत योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि	**3**ग**i**			
		घ	**योग**	**3**घ			
	4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम				**4**	
	5	धारा **59** के अधीन कर से प्रभार्य लाभ				**5**	
	6	अन्य स्रोतों से निवल आय **1(**डीटीएए अंश से संबंधित आय घटाने के बाद**)-3+4+5** *(*यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 4/में आंकड़े भरें*)*				**6**	

	7	अन्य **स्त्रोतों** से आय **(दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (**शून्य के रुप **6** दर्ज करें**,** यदि नकारात्मक **)**				**7**	
	8	**दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय**					
		क	**प्राप्तियाँ**	**8क**			
		ख	केवल **8**क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा **57** के अधीन कटौतियां	**8ख**			
		ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	**8**ग			
		घ	धारा **59** के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ			
		ङ	अतिशेष **(8क – 8ख + 8**ग **+ 8**घ**)** *(*यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीएफएल के 11*xv* में आंकड़े भरें*)*			**8ङ**	
	9	"अन्य **स्त्रोतों** से आय" **शीर्ष के** अधीन **प्रभार्य** आय **(7 + 8ङ) (**नकारात्मक की दशा में **8**ङ को ले जाएं**)**				**9**	
	10	अन्य स्त्रोतों से आय के प्रोदभवन/प्राप्ति के बारे में सूचना					

	क्र०सं०	अन्य स्त्रोतों से आय	**15/6** तक	फॉर्म **16/6** से **15/9** तक	फॉर्म **16/9** से **15/12** तक	फॉर्म **16/12** ये **15/3** तक	फॉर्म **16/3** से **31/3** तक
			(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**	**(v)**
	1	धारा **2(24)(ix)** में निर्दिष्ट लाटरी**,** फ्रासवर्ड पहेली**,** दौड़ खेलों**,** जुआ**,** सट्टेबाजी से आय					
	2	धारा 115 ख ख ञ के अधीन ऑनलाइन गेम्स जीतने से हुई आय					
	3क	क्रम सं. 1क (i) में संदर्भित लाभांश पर आय					
	3ख	क्रम सं. 1क (iii) में संदर्भित लाभांश पर आय					

		4	धारा 115क(1)(क)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय सम्मिलत)						
		5	धारा 115 क (1)(क)(क) के परन्तुक के अधीन 10% की दर से लाभांश आय						
		6	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय						
		7	धारा **115**कघ(**1)(i)** के तहत **20%** की दर से धारा **115**कघ(**1)(i)** में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ आई आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
		8	धारा **115**कघ (**1)(i)** के तहत **10%** की दर से धारा **115**कघ(**1)(i)** में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश आय (पी.टी.आई आय सम्मिलत है)						
		9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						

अनुसूची सी.वाई.एल.ए	चालू **वर्षों** की **हानियों का मुजरा करने के पश्चात** आय **के ब्यौरे**						
चालू वर्ष हानि समायोजन	क्र. सं.	आय **का शीर्ष /स्लोत**	चालू वर्ष की आय (इस **स्तंभ** को **केवल** तभी **भरें** यदि आय **शून्य** या **सकारात्मक है)**	**मुजरा** की गई चालू वर्ष की गृह संपत्तिहै। **हानि**	**मुजरा** की गई चालू वर्ष की कारबार **हानि (सट्टे** या विनिर्दिष्ट कारबार की **हानि** से **भिन्न)**	अन्य **स्त्रोतों** सेचालू वर्ष **के** लिए **मुजरा**ई की गई **हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से** प्रभार्य **रकम** से **भिन्न**	**मुजरे के पश्चात** शेष बची चालू वर्ष की आ**य**
			1	**2**	**3**	**4**	**5=1-2-3-4**
	i	**हानि** की **मुजरा**ई की **जानी है (**यदि संगणित आंकड़ा नकारात्मक है तो केवल यह पंक्ति भरें**)**		*(अनुसूची*एच *पी का 3)*	*(*अनुसूची बीपी के मद *ङ* का *2vi)*	*(अनुसूची* ओएस *का 6***)**	
	ii	गृह **संपत्ति**	*(अनुसूची* एच *पी का 3)*				
	iii	व्यवसाय (धारा **115** ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	*(अनुसूची* एच *पी का क 37)*				
	Iv	धारा **115** ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	*(*अनुसूची बीपी के मद *ङ* का *3iv)*				
	v	**सट्टे** से आय	*(*अनुसूची बीपी के मद *ङ* का *3ii)*				
	vi	**धारा 35कघ के** अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	*(*अनुसूची बीपी के मद *ङ* का *3iii)*				

	viiक	**15** प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी* की मद *ङ का 11ii)*				
	viiख	**20** प्रतिशत की दर परअल्पकालिक पूंजी अभिलाभ कराद्येय है	*अनुसूची सीजी* की मद *ङ का 11iii)*				
	viii	**30** प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी* की मद *ङ का 11iv)*				
	ix	लागू दर पर **कर** से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी* की मद *ङ का 11v)*				
	x	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभार्य कुल आय	*(अनुसूची सीजी* की मद *ङ का 11vi)*				
	xiक	**10** प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य **दीर्घकालिक** पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी* की मद *ङ का 11vii)*				
	Xiख	**12**.5**%** की दर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कराद्येय है	(सीजी अनुसूची की मद ड. का 11 *viii)*				
	xii	**20** प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य **दीर्घकालिक** पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीजी* की मद *ङ का 11viii)*				
	Xiii	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय दीर्घ कालीनप पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभार्य कुल आय	*(अनुसूची सीजी* की मद *ङ का 11 ix)*				
	xiv	सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभार्य कुल आय	*(अनुसूची* ओएस की मद *6)*				
	Xv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	*(अनुसूची* ओएस की मद *8ड़*)				
	xvi	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	*(अनुसूची* ओएस की मद *2* च)				
	xvii	**मुजरा** की गई कुल **हानि**					
	xviii	**मुजरे के पश्चात** शेष **हानि (i - xvii)**					

अनुसूची-बी.एफ.एल.ए	पूर्व वर्षों की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात आय के ब्यौरे					
	क्र. सं.	आय का शीर्ष /स्त्रोत	**अनुसूची सीवाईएलए के 5 के** अनुसार चालू वर्ष की **हानियों के मुजरे के पश्चात** आय	**मुजरा** की गई अग्रनीत **हानि**	**मुजरा किया** गया अग्रनीत अवक्षयण	**मुजरा किया** गया, **धारा 35(4) के** अधीन अग्रनीत मोक(रिबेट)	**मुजरे के पश्चात** शेष बची चालू वर्ष की आय
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
अग्रनीत हानि समायोजन	**i**	गृह **संपत्ति**	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)*	*(ख*यदि गृह संपत्तिसे *हानि है*)			
	ii	व्यवसाय (धारा **115** ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)*	(*ख***यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार सेभिन्न , कारबार से हानि है**) **(टिप्पणः धारा 44खख के अधीन आय के सिवाय अवक्षय मुजराई कारबार आय तक निर्बंधित होगी)**	**(टिप्पणः धारा 44खख के अधीन आय के सिवाय अवक्षय मुजराई कारबार आय तक निर्बंधित होगी)**		
	iii	धारा **115** ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)*	(*ख* **यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न , कारबार से हानि है**)			
	iv	**सट्टे** से आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)*	(*ख* **यदि सट्टेबाजी से हानि है** *)*			
	v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)*	(*ख* **विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है**)			
	viक	**15** प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)*	(*ख* **यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है**)			
	viख	**20** प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ कराधेय है	(अनुसूची सीवाईएलए का *5 vi*ख*)*	*ख* **यदि अग्रणीत अल्पकालिक हानि है**)			
	vii	**30** प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)*	(*ख* **यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है**)			
	viii	लागू दर पर **कर** से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)*	(*ख* **यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है**)			
	ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय लघु कालीन पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)*	(*ख* **यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है**)			
	xक	**10** प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य **दीर्घकालिक** पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5xi)*	(*ख***यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है**)			
	xख	**12**.5 प्रतिशत की दर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कराद्येय है	(अनुसूची सीवाईएलए का **5xi**ख**)**	**(**ख यदि अग्रनीत अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है)			
	xi	**20** प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य **दीर्घकालिक** पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)*	(*ख***यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है**)			
	xii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घ कालीन पूंजी अभिलाभ	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)*	(*ख***यदि अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि है**)			
	Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से कुल आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)*				
	Xiv	**घुड़दौड़ के स्वामित्व के अनुरक्षण से लाभ**	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)*	(*ख***यदि घुड़दौड़ से हानि है**)			
	xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	*(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xvi)*				
	Xvi	**मुजरा** की गई अग्रनीत कुल **हानि**					
	xvii	चालू वर्ष की **मुजरे के पश्चात** शेष बची हानि **योग (5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi**क**+5vi**ख **+ 5vii + 5viii + 5ix + 5x**क **+5x**ख**+ 5xi +5xii +5xiii+ 5xiv + 5xv)**					

अनुसूची-सी.एफ.एल	भावी के वर्षों के लिए अग्रणित हानियों का विवरण												
	क्र. सं.	**निर्धारण** वर्ष	**फाईल करने** की तारीख **(दिन /**मास **/** वर्ष**)**	गृह संपत्ति से **हानि**	**सट्टे के** कारबार **और** विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से **हानि**			**सट्टे के** कारबार से **हानि**	विनिर्दिष्ट कारबार से **हानि**	धारा **115**ख जीवन बीमा व्यवसाय से हानि	अल्पकालिक पूंजी **हानि**	दीर्घकालिक पूंजी **हानि**	**दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि**
					कारबार हानि अग्रनीत	धारा 115 खकघ या 115 ख क ग (1क) के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	वर्ष के दौरान उपलब्ध कारबार हानि के लिए मुजरा अग्रनीत						
	1	**2**	**3**	**4**	5क	5ख	**5**ग **=5**क-**5**ख	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
हानि का अग्रनयन	**i**	**2010-11**											
	ii	**2011-12**											
	iii	**2012-13**											
	iv	**2013-14**											
	v	**2014-15**											
	vi	**2015-16**											
	vii	**2016-17**											
	viii	**2017-18**											
	ix	**2018-19**											
	x	**2019-20**											
	xi	**2020-21**											
	Xii	**2021-22**											
	Xiii	**2022-23**											
	Xiv	**2023-24**											
	Xv	2024-25											
	Xvi	**पूर्व वर्ष** की **हानियों का योग अग्रनीत**											
	Xvii	**अनुसूची** बीएफएलए में उपरोक्त **हानियों का समायोजन**		*(***अनुसूची** बीएफएलए **का** *2i)*			*(***अनुसूची** बीएफएलए **का** *2ii)*	*(***अनुसूची** बीएफएलए **का** *2iv)*	*(***अनुसूची** बीएफएलए **का** *2v)*	*(***अनुसूची** बीएफएलए **का** *2iii)*			*(***अनुसूची** बीएफएलए **का** *2xiii)*
	xviii	**2025-26** चालू वर्ष की हानि		*(*अनुसूची सीवाईएलए का *2xvii)*			*(***अनुसूची सीवाईएलए का** *3xvii)*	*(***अनुसूची** बीपी **का ख42,** यदि नकारात्मक है*)*	*(***अनुसूची** बीपी **का ग48,** यदि नकारात्मक है*)*	अनुसूची बीपी का क4ख *(*यदि नकारात्मक है*)*	*(2xii+3xii+4xii+5xii+6xii)* अनुसूचीसी जी के मद ड)	*(7xii +8x+9xii+10xii)* अनुसूची सीजी के मद ड)*)*	*(***अनुसूची** ओएस **का 8ड़** यदि - नकारात्मक है*)*

	xix	यूनिट धारकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित (निवेश निधि के लिए लागू)											
	Xx	चालू वर्ष की हानियां अग्रनीत **(xviii-xix)**											
	xxi	**भावी वर्षों** को अग्रनयन की गई कुल **हानि (xvi-xvii+xx)**											

अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण	**धारा 35(4) के** अधीन अनामेलित अवक्षयण **और** मोक							
क्र. सं.	**निर्धारण वर्ष**	अवक्षयण				**धारा 35(4) के** अधीन मोक		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण **की रकम**	धारा **115**खकघ या 115 ख क ग (1क) के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	**चालू वर्ष की आय के विरूद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम**	**अगले वर्ष के लिए अग्रेषित शेष रकम**	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणित रकम	चालू वर्ष की आ**य के** मोक की **रकम** की **मुजरा**ई	अग्रिम वर्ष **के** लिए अग्रणित शेष
(1)	**(2)**	**(3)**	**(3**क)	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
i	चालू **निर्धारण वर्ष**							
ii								
iii								
iv								
v	**योग**			*(* **बीएफएलए** ***का*** *3xvi)*			*(***बीएफएलए** ***का*** *4xvi)*	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.	लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव			
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	लाभ बढ़ना(रु.)	लाभ घटना(रु.)	शुद्ध प्रभाव(रु.)
1	2	3	4	5
I	लेखा नीति			
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क –ण झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रुप से रिपोर्ट किया जाता है ।)			
III	संनिर्माण संविदाएं			
IV	राजस्व मान्यता			
V	मूर्त नियत आस्तियां			
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन			
VII	सरकारी अनुदान			

VIII	प्रतिभूतियां (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क –ण झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रुप से रिपोर्ट किया जाता है ।)			
IX	उधार लेने की लागत			
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था			
XI	लाभ पर आईसीडीएस समायोजन का कुल प्रभाव **(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)**			

अनुसूची-10कक **धारा 10कक के** अधीन **कटौती**

धारा 10कक के अधीन **कटौती**

अवशेष औद्योगिक **क्षेत्र** में अवस्थित यूनिटों की बाबत **कटौती**

क्रम संख्या	वचनबंध	**निर्धारण वर्ष इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन/सेवा प्रदान करना आरंभ किया है**	**क्रम संख्या**	कटौती की रकम
क	वचनबंध सं.**0 1**		**क**	**(प्ररूप 56**च **के** उपाबंध **क** की मद **17 के** वचनबंध **1 के** लिए
ख	वचनबंध सं.**0 2**		**ख**	**(प्ररूप 56**च **के** उपाबंध **क** की मद **17 के** वचनबंध **2 के** लिए
ग	**धारा 10कक के** अधीन कुल **कटौतियाँ (क+ख)**			**ङ**

अनुसूची 80छ **धारा 80** छ **के** अधीन **कटौतियों के** लिए **हकदार** दानों **के ब्यौरे**

दान के ब्यौरे

क	बिना अर्हता सीमा **के 100** प्रतिशत **कटौतियों के** लिए **हकदार** दान					
	आदाता **का** नाम **और** पता	आदाता **का** पैन	दान की रकम			दान **के** लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i					
	ii					
	iii कुल					
ख	बिना अर्हता सीमा **के 50** प्रतिशत **कटौतियों के** लिए **हकदार** दान					
	आदाता **का** नाम **और** पता	आदाता **का** पैन	दान की रकम			दान **के** लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i					
	ii					
	iii कुल					
ग	अर्हता सीमा **के** अध्याधीन **100** प्रतिशत **कटौतियों के** लिए **हकदार** दान					
	आदाता **का** नाम **और** पता	आदाता **का** पैन	दान की रकम			दान **के** लिए उपयुक्त रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i					
	ii					
	iii कुल					
घ	अर्हता सीमा **के** अध्याधीन **50** प्रतिशत **कटौतियों के** लिए **हकदार** दान					
	आदाता **का** नाम **और** पता	आदाता **का** पैन	ए.आर एन (संदान संदर्भ संख्या)	दान की रकम		दान **के** लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
	i					
	ii					
	iii कुल					
ङ	कुल दान **(कiii + खiii + गiii + घiii)**					

अनुसूची 80छछक	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानों के ब्यौरे							
क्रम संख्या.	सुसंगत खण्ड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है। **(ड्रापडाउन दिया जाए)**	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैन	दान की रकम			दान को पात्र रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i							
ii							
	कुल दान						

अनुसूची 80छछग	राजनैतिक दलों को चंदे का विवरण						
क्र.सं.	दिनांक	चंदे की राशि			चंदे के योग्य राशि	यूपीआई अतंरण या चैक नंबर के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आईएफएस कोड
		चंदा नकद में	अन्य माध्यम में चंदा	कुल चंदा			
i							
	पंक्ति जोड़ें						
	कुल चंदा						

अनुसूची 80झकग	योग्य स्टार्ट-अप के संबंध में कटौती (यदि क19(छ) का उत्तर हां है तभी भरा जाए)				
क्रम संख्या	स्टार्ट-अप के निगमन की तिथि	व्यापार की प्रकृति	अंतर मंत्रीस्तरीय प्रमाणन बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र संख्या	पहला नि.व. जिसमें कटौती का दावा किया गया	वर्तमान नि.व. के लिए कटौती के दावे की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनुसूची 80ठक	अपतटीय बैंकिग इकाई या आईएफएससी संबंध में कटौती						
उपधारा जिसमें कटौती का दावा किया							
क्रम संख्या	इकाई का प्रकार	इकाई के आय का प्रकार	पंजीकरण स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी	पंजीकरण की तिथि	पंजीकरण संख्या	पहला नि.व. जिसमें कटौती का दावा किया गया	वर्तमान नि.व. के लिए कटौती के दावे की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पंक्ति जोड़ने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा							
कुल							

अनुसूची आर. ए	अनुसंधान संगमों को दानों के ब्यौरे **(धारा35(1)(ii)** या धारा **35(1)(ii**क**)** या **35(1)(iii)** या **35(2**कक**)** के अधीन कटौती**)**					
	दानकर्ता का नाम और पता		दानकर्ता का पैन	दान की रकम		दान की पात्र रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
i						
ii						
iii	कुल					

अनुसूची-80-झ .क	धारा 80- झ .क के अधीन कटौतियाँ					
क	धारा 80झक (4) (i)में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियाँ (अवसंरचना सुविधा)	क1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
		क2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
ख	धारा 80-झक(4)(iv)में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
		ख2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
ग	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क1 + क2 + ख1 + ख2)				ग	

अनुसूची-80-झ .ख	धारा 80-झ .ख के अधीन कटौतियाँ					
क	जम्मू कश्मीर या लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती [धारा 80झख(4)]	क1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)		
		क2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)		
ख	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनीज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है। [धारा 80झख(9)]	ख1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)		
		ख2	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)		
ग	गृह प्रयोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80झख(10)]	ग1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)		
		ग2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)		
घ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परीक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80झख(11क)]	घ1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)		
		घ2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)		
ङ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80झख(11क)]	ङ 1	वचनबंध सं.01	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)		
		ङ 2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10 सीसीबी की मद 30)		
च	धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क1 से ङ 2 का योग)				च	

अनुसूची 80-झङ						
क	पूर्वोत्तर में अवस्थित औधयोगिक उपक्रम की बाबत कटौती					
	कक	असम	कक1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
			कक2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	कख	अरूणाचल प्रदेश	कख1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
			कख2	वचनबंध सं.0 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	कग	मणिपुर	कग1	वचनबंध सं.01	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
			कग2	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	कघ	मिजोरम	कघ1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
			कघ2	वचनबंध सं.02	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	कङ	मेघालय	कङ1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
			कङ2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	कच	नागालैंड	कच 1	वचनबंध सं.0. 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
			कच 2	वचनबंध सं.0. 2	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
	कछ	त्रिपुरा	कछ1	वचनबंध सं.0 1	(वचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	

				कछ2	वचनबंध सं.**0 2**	(वचनबंध **के प्ररूप 10सीसी**बी की मद **30)**		
		कज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों **के** लिए **कटौतियों का योग (कक1** से **कछ 2 का योग)**				**कज**	
	ख	**धारा धारा 80झङ के** अधीन कुल कटौती					ख	

अनुसूची 80त	**धारा 80त के अधीन कटौतियां**			
		कारोबार कोड की प्रकृति	आय	कटौती के लिए पात्र रकम
1	**धारा 80त(2)(क)(i) इसके सदस्यों को बैंकिग/क्रेडिट सुविधा**			
2	**धारा 80त(2)(क)(ii) कुटीर उद्योग**			
3	**धारा 80त(2)(क)(iii) इसके सदस्यों द्वारा उगाई गई कृषि उपग का विपणन**			
4	**धारा 80त(2)(क)(iv) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए कृषि के लिए आशयित कृषि उपकरण, बीजों, पशु धन, या अन्य वस्तुओं का क्रय**			
5	**धारा 80त(2)(क)(v) इसके सदस्यों की कृषि उपज की विद्युत की सहायता के बिना**			
6	**धारा 80त(2)(क)(vi) इसके सदस्यों के या श्रम का सामूहित निपटान**			
7	**धारा 80त(2)(क)(vii) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए मछली पकड़नाय या संबंद्ध क्रियाकलाप**			
8	**धार 80त(2)(ख) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी/सरकारी कंपनी/ निगम को दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगे संघीय सहकारी सोसाइटी को इसके सदस्यों द्वारा उत्पन्नया उगाए गए दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगी प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां ।**			
9	**धारा 80त(2)(ग)(i) धारा 80त(2क) या धारा 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी**			
10	**धारा 80त(2)(ग)(ii) धारा 80त(2क) या 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्रियाकलापों में लगी अन्य सहकारी सोसाइटियां**			
11	**धारा 80त(2)(घ) अन्य सहकारी सोसाइटीयों में निवेश से ब्याज/लाभांश**			
12	**धारा 80त(2)(ङ) वाणिज्याक के विपणन को सुकर बनाने के लिए भण्डारण/प्रसंस्करन हेतु गोदामों/भाण्डागारों को किराए पर देने से आय**			
13	**धारा 80त(2)(च) अन्य**			
14	योग			

अनुसूची - VIक	अध्याय **VIक के** अधीन **कटौतियाँ**							
कुल **कटौतियाँ**	**1**	भाग **ख- कतिपय** संदायों की बाबत कटौती						
	क	**80**छ		**ख**	**80**छछ**ख**			
	ग	**80**छछग						
		भाग ख के अधीन कुल कटौती **(क + ख + ग)**					**1**	
	2	भाग **ग- कतिपय** संदायों की बाबत **कटौती**						
	घ	**80-*झक***	*(अनुसूची 80-ठक का* च *)*	**ङ**	**80-*झकख***			
	च	**80-*झक*ग**	(अनुसूची 80-झ कग का 6)	छ	**80-*झख***	*(अनुसूची 80- झख का च)*		
	ज	**80-*झखक***		झ	**80*झङ***	*(अनुसूची 80झङ का ख)*		
	ञ	**80*ञञक***		**ट**	**80*ञञकक***	(प्रपत्र 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. 5*I(अiv) +5II*		
	ठ	**80*ठक*(1)**	(अनुसूची 80-ठक का 8)	**ड**	**80*ठक*(1क)**	(अनुसूची 80-ठक का 8)		
	ण	**80**त						
		भाग ग के अधीन कुल कटौती (**घ** से **ण** तक का योग)					**2**	
	3	अध्याय **VIक के** अधीन कुल कटौती **(1 + 2)**					**3**	

अनुसूची-ए.एम.टी	धारा 115ञग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना					
कुल कटौतियाँ	1	*भाग-ख-कुल आय के मद 13 के अनुसार कुल आय*			1	
	2	धारा 115ञ(2) के अनुसार समायोजन				
		क	शीर्ष "ग -कतिपय आय के संबंध में कटौतियाँ " के अधीन अध्याय VIक में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क		
		ख	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती	2ख		
		ग	आस्तियों जिस पर ऐसी कटौती का दावा किया जाता है पर अवक्षाय राशि द्वारा यथा घटाया गया धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा	2ग		
		घ	कुल समायोजन (2क + 2ख+2 ग)	2घ		
	3	धारा 115ञग (1) के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2ग)			3	
	क	धारा 115ञग के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो			3क	
	ख	धारा 115ञग के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय			3ख	
	4	धारा 115ञग (1) के अधीन संदेय कर, यथास्थिति [(3 ख) का 18.5 % या 15% (3 क) का 9 % जैसा अनुप्रयोज्य हो] (ए.ओ.पी, बी.ओ.पी, ए.जे.पी के मामले में यह लागू है यदि 3, बीस लाख से अधिक है)			4	

अनुसूची ए.एम.टी.सी	धारा 115ञघ के अधीन जमा कर की संगणना		
1	निर्धारण वर्ष 2025-26 में धारा 115 ञग के अधीन कर (भाग-ख-टी.टी.आ ई का1घ)	1	
2	निर्धारण वर्ष 2025-26 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर (भाग-ख-टी.टी.आ ई का 4)	2	
3	कर की रकम जिसके विरूद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविष्ट करें) यदि 2, 1 से अधिक है , अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें]	3	
4	उपलब्ध एएमटी जमा राशि का उपयोजन (चालू वर्ष के दौरान उपयोजित एएमटी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अध्यधीन होगी और वह अग्रणित एएमटी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती		

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एएमटी प्रत्यय (ख)			चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई एएमटी (ग)	अग्रनीत अतिशेष एएमटी जमा (घ)= (ख3) -(ग)
		सकल (ख1)	पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रनीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)		
I	2011-12					
ii	2012-13					
iii	2013-14					
iv	2014-15					
v	2015-16					
vi	2016-17					
vii	2017-18					
viii	2018-19					
ix	2019-20					
x	2020-21					
xi	2021-22					
Xii	2022-23					
xiii	2023-24					
Xiv	2024-25					
xv	चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविष्ट करें, यदि 1> 2 या शून्य प्रविष्ट करें)					
xvi	योग					

5	धारा 115ञघ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4ग के अनुसार]	5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एएमटी दायित्व की रकम[मद सं.. 4घ प्रविष्ट करें]	6	

अनुसूची एसआई	विशेष दर से प्रभार्य आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)					
	क्र.सं.	धारा / विवरण	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
विशेष दर	1क	111क या धारा 115कघ(ii)- परंतुक(शेयर/साम्या, उन्मुख एम एफ पर एसटीसीजी, जिस पर ऐी टी ओी संदत्त है) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व लागू हुआ था]	☐	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5viक का भाग)	
	1ख	111क या धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- [शेयर यूनिटों पर एसटीसीजी, जिस पर एसटीसीजी संदत्त है] (जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् यथा लागू हुआ था)	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vi ख का भाग)	
	2	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एसीटीसीजी जहां एसटीटी का भुगतान नहीं किया गया हो)	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5vii का भाग)	
	3 क	112(1) का परंतुक (सूचीकरण के साथ एलटीसीजी पर सूचीबद्ध [जहां अंतरण 23 जुलाई से पूर्व हुआ था, जैसा लागू हो, तथा अनुसूची सीजी यदि कोई है के क्रम सं. ख4(च) को ध्यान में रखने के पश्चात् उस पर कर।]	☐	20(अनुसूची सीजी के ख4च द्वारा कमी यदि कोई हो)	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xक का भाग)	
	3 ख	112(1)(सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् यथा लागू हुआ था]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3viiख का भाग)	
	4 क	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध डिबेंचर से भिन्न पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व यथा लागू हुआ था]	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xक का भाग)	
	4 ख	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् यथा लागू हुआ था]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x ख का भाग)	
	5 क	115कख (धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व यथा लागू हुआ था	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xक का भाग)	
	5 ख	115कख (धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् यथा लागू हुआ था।	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x ख का भाग)	
	6 क	115कग (बंध पत्र/जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व यथा लागू हुआ था]	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xक का भाग)	
	6 ख	115कग (बंध पत्र/जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 के पश्चात् यथा लागू हुआ था]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x ख का भाग)	
	7	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xक का भाग)	
	8 क	112(अन्य दर पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण/घटना 23 जुलाई, 2024 से पूर्व यथा लागू हुआ था]	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi का भाग)	
	8 ख	112(अन्य दर पर एलटीसीजी)[जहां अंतरण/घटना 23 जुलाई, 2024 को या के पपश्चात् यथा लागू हुआ था]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x ख)	
	9 क	112क या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)- परंतुक (शेयरों या यूनिटों के विक्रय पर एलटीसीजी, जिन पर एसटीटी संदत्त है) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पूर्व यथा लागू हुआ था]	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xक)	
	9 ख	112ख या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)- परंतुक (शेयरों या यूनिटों के विक्रय पर एलटीसीजी, जिन पर एसटीटी संदत्त है) [जहां अंतरण/घटना 23 जुलाई, 2024 को या के पश्चात् यथा लागू हुआ था]	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x ख)	
	10	भारत में डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभार्य है	☐		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5ix)	
	11	भारत में डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभार्य है			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का भाग 5xii)	
	12	115ख (जीवनबीमा कारबारक के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5iii)	
	13क	115कग (विदेशी कंरसी में क्रय किए गए बंधपत्रो से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय)	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग x)	
	13ख	115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का भाग 2ग xi)	
	14	115 खख (लॉटरी,वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओ.एस का 2कi)	
	15	115 खखञ (ऑनलाइन खेल से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओ.एस का 2कii)	
	16	115 खखङ (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन आय	☐	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)	
	17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
		क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बी.पी का 3घ)	
		ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घxvi)	
	18	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
		क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बी.पी का 7ङ)	

		ख	शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	**10**	(अनुसूची ओ.एस का 2ग**xvi**)	
	19	**115**खखज (आभासी डिजिटल परिसंपति के अंतरण से आय पर कर)					
		क	कारबार या वृत्ति से आय	☐	**30**	(अनुसूची बी.पी का 3च)	
		ख	पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय	☐	**30**	(अनुसूची सी.जी का ग2)	
	20	**115**क**(1)**(ख) **(**क**)** और **115**क**(1)**(ख)**(**ख**)** (रॉयल्टी से एक गैर-निवासी की होने वाली आय**)**		☐	**10**	(**अनुसूची** ओ.एस **का** भाग 2ग**viii**)	
	21	भारत में डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य स्त्रोतों से आय प्रभार्य है		☐		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 2ङ का भाग 5xv)	
	22 क	**15% @** की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय		☐	**15**	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5viक का भाग)	
	22 ख	**20% की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी आय**		☐	**20**	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi **ख** का भाग)	
	23	**30% @** की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय		☐	**30**	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)	
	24 क	**10% @** की दर पर प्रभार्य दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय		☐	**10**	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x **क** का भाग)	
	24 ख	धारा 112क के अधीन 12.5% की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी आय		☐	**12.5**	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x **ख** का भाग)	
	25 क	धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास		☐	**10**	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x**क** का भाग)	
	25 ख	धारा 112क के अधीन 12.5% की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी से भिन्न आय		☐	**12.5**	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x**ख** का भाग)	
	26	**20% @** की दर पर प्रभार्य दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय		☐	**20**	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xi का भाग)	
	27	विशेष दये पर प्रभार्य अन्य स्त्रोत से आय की प्रकृति की गुजरी हुई आय		☐		(अनुसूची ओ.एस का 2**घ**)	
	28	अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्थ होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)		☐		(अनुसूची ओ.एस के 2ग का भाग)	
					योग		

अनुसूची आ ई एफ	भागीदारी फर्मों के बारे में जानकारी जिसमें आप भागीदार है							
फर्म जिसमें भागीदार हैं	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार है							
	क्र.सं.	फर्म का नाम	फर्म का पैन	क्या फर्म संपरीक्षक के लिए दायी है (हां/नहीं)	क्या फर्म की धारा **92**ङ लागू होती है (हां/ नहीं)	फर्म के लाभ में प्रतिशत हिस्सा	लाभ में हिस्से की रकम **i**	फर्म में **31** मार्च को पूंजी बकाया **ii**
	1							
	2							
	3							
	4	योग						

अनुसूची-छूट **प्राप्त** आय	छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से प्रभार्य न की जाने वाली आय)						
	1	ब्याज से आय				**1**	
	2	i	शुद्ध **कृषि** आय (आयकर **नियम के नियम 7क, 7ख** या **8 के** अधीन **सम्मिलित नहीं** की जाने वाली आ**य** से **भिन्न**)	i			
		ii	कृषि पर उपगत व्यय	ii			
		iii	पूरव आठ कर-निरधारण वर्षों विनिर्दिष्ट कृषि हानि	iii			
		iv	नियम **7, 7**क, **7**ख(**1**), **7**ख(**1**क)और **8** (अनुसूची बी.पी की क्र.सं. **38**) से संबंधित कृषि आय अंश	Iv		2	
		V	वर्ष (i-ii-iii+iv) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)				
		vi	वर्ष के लिए कुल कृषि आय **5** लाख से अधिक होने के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)				
			क	पिनकोड़ के साथ उस जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है ।			
			ख	एकड़ में कृषि भूमिक का मापन			

			ग	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)						
			घ	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)						
छूट **प्राप्त** आय	**3**	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)(3क + 3ख)							**3**	
		क	धारा **10(23**चख**)** अथवा **10(23**चखक**)** या **10(23**चग**)** या **10(23**चगक**)** या **10(23**चड़**)** या **10(23**चच**)** या **10(4**घ**)** के तहत आय **(**कृपया प्रपत्र दाखिल करने की तिथि तथा पावती संख्या का विवरण प्रदान करें (यदि 10(23चच तथा 10(4घ) के तहत दावा किया गया के तहत आय प्रत्येक अनुभाग के लिए अलग से ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।				3क			
		ख	कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति दर्ज करने के लिए टेक्स्ट के साथ पंक्ति विकल्प जोड़ें				3ख			
	4	डीटीएए के अनुसार दावा किये गए कर से अप्रभार्य आय								
		क्र.स०	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय की शीर्ष	क्या टीआटी प्रदान की गई (हां/नहीं*)*		
		I								
		II								
		III	कर से प्रभार्य नहीं डीटीएए से कुल आय						**4**	
	5	कर से अप्रभार्य पास थ्रू आय (अनुसूची पीटीआई)							**5**	
	6	**योग (1+2+3+4+5)**							**6**	

अनुसूची पीटीआई	धारा **115**प**, 115**पक और **115**पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे										
पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा **115**प **/115**पक**/115**पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास **/** विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास **/** विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष		मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि **9=7-8**	ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती , यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	1.				**i**	गृह संपत्ति					
					ii	पूंजी अभिलाभ					
						क	अल्पकालिक अवधि				
						कi	धारा **111**क				
						कii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खi	धारा **112**क				
						खii	धारा **112**क के अलावा अन्य				
					iii	अन्य स्रोत					
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा **10(23**चखख**)** के अधीन				
						ख	धारा **.....**के अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
	2.				**i**	गृह संपत्ति					
					ii	पूंजी अभिलाभ					
						क	अल्पकालिक अवधि				

						कi	धारा **111**क				
						कii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खi	धारा **112**क				
						खii	धारा **112**क के अलावा अन्य				
					iii	अन्य स्त्रोत					
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा **10(23**चखख**)** के अधीन				
						ख	धारा **.....**के अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
टिप्पण ►	इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें ।										

अनुसूची टी.पी.एस.ए	ई-फाईलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार, धारा 92 खड **(2**क**)**के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण							
धारा **92**गड **(2**क**)** के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर)	**1**	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा **92**गड **(2**क**))** के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है **(**कृपया समस्त नि. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)						
	2	क	अतिरिक्त आयकर **18%** या उससे अधिक की दर पर देय होगा					
		ख	"क" पर **12%** की दर से अधिभार					
		ग	**(**क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)					
	3	भुगतान किए गए कर						
	4	निवल देय कर **(2**घ**-3)**						
	5	धारा **92**गड **(2**क**)** के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख**1** (दिन/माह/वर्ष)	तारीख **2** (दिन/माह/वर्ष)	तारीख **3** (दिन/माह/वर्ष)	तारीख **4** (दिन/माह/वर्ष)	तारीख **5** (दिन/माह/वर्ष)	तारीख **6** (दिन/माह/वर्ष)
	6	बैक और शाखा का नाम						
		बीएसआर कोड						
	8	चालान की क्रम संख्या						
	9	जमा की गई राशि						

अनुसूची 115 नघ	धारा 115 नघ के अधीन अनुवृद्धि आय				
	1	विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आस्तियों का संकलित उचित बाजार मूल्य (एफएमवी)		1	
	2	घटाएः विनिर्दिष्ट व्यक्ति का कुल दायित्व		2	
	3	आस्तियों का शुद्ध मूल्य (1-2)		3	
	4	(**i**) धारा 10(1) में निर्देशित आय से सीधे अर्जित आस्तियों का एफएमवी	4**i**		
		(**ii**) धारा 12 क ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी तारीख की अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफएमवी,यदि उक्त अवधि के दौरान धारा 11 और 12 के अधीन लाभ का दावा नहीं किया गया है	4 **i i**		
		(**iii**)धारा 115 नघ (2) के तीसरे परंतुक के अनुसार हस्तांतरित आस्तियों का एफएमवी	4 **i i i**		
		(**iv**) कुल (4**i**+4**ii**+4 **iii**)		4**iv**	
	5	उपरोक्त 4 पर आस्तियों के संबंध में दायित्व		5	

	6	धारा 115 नघ के अनुसार अर्जित आय **[**3-4**iv**-5**)]**			6	
	7	धारा 115 नघ के अधीन अधिकतम मर्जिन दर पर अतिरिक्त संदेय आयकर			7	
	8	धारा 115 नघ के अधीन संदेय ब्याज			8	
	9	धारा 115 नघ के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख			9	
	10	अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज			10	
	11	कर और संदत्त ब्याज			11	
	12	शुद्ध संदेय (10-11) (नकारात्मक होने पर 0 लिखें)			12	
	13	अनुवृद्धि आय पर कर जमा करने की तारीख(तारीखें)	तारीख1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख3 (दिन/माह/वर्ष)	
	14	बैंक एवं शाखा का नाम				
	15	बीएसआर कोड				
	16	चालान का क्रमांक				
	17	जमा की गयी राशि				

अनुसूची- एफएसआई

भारत से बाहर आय **और कर राहत (**केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है**)**

भारत से बाहर से आय **और कर राहत**

क्र. सं.	देश कोड (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा ड्रापडाउन उपलब्ध करवाया जाएगा)	**कर** संदायकर्ता पहचान संख्या	क्र. सं.	आ**य का शीर्ष**	भारत से बाहर आय **(** भाग **ख** तझ में शामिल**)**	भारत से बाहर **संदत्त कर**	भारत में सामान्य उपबंधों **के** अधीन ऐसी आ**य** पर **संदत्त कर**	भारत में उपलब्ध **कर राहत (ङ**)= **(ग)** या **(घ) जो** भी निम्नतर हो	यदि **राहत धारा 90** या **90क के** अधीन दावा की गई **है** तो **डीटीएए का** सुसंगत अनुच्छेद
					(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	**(ङ)**	(च)
1			**i**	गृह **संपत्ति**					
			ii	कारबार या **व्यवसाय**					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य **स्त्रोत**					
				योग					
2			**i**	गृह **संपत्ति**					
			ii	कारबार या **व्यवसाय**					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य **स्त्रोत**					
				योग					

टिप्पण ► कृपया इस **अनुसूची** को भरने **के** लिए अनुदेशों **के** प्रतिनिर्देश करें

अनुसूची-टीआर	भारत से बाहर **संदत्त** किए गए **करो** पर दावा की गई **कर राहत के** सारांश **का ब्यौरा** (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

भारत से बाहर **संदत्त कर के** लिए **कर राहत**

1	दावा की गई **राहत के कर ब्यौरे**				
	देश कोड	**कर** संदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर **संदत्त** कुल **कर (अनुसूची** च ज झ की **(ग) का प्रत्येक** देश की बाबत **योग)**	उपलब्ध कुल **कर राहत (अनुसूची** च ज झ की **(ङ) का प्रत्येक** देश की बाबत **योग)**	वह **धारा जिस के** अधीन **राहत का** दावा **किया** गया **है (90, 90क** या **91** विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)
		योग			

2	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल **कर राहत जहां डीटीएए** लागू **है (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का** भाग)	2	
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल **कर राहत जहां डीटीएए** लागू नहीं **है (धारा 91) (1(घ) के योग का** भाग)	3	
4	क्या भारत से बाहर किसी **कर का किया** गया **है जिस** पर भारत में **कर राहत** अनुज्ञात थी **जिसका** वर्ष **के** दौरान **विदेशी कर** प्राधिकारी **ने प्रतिदाय /**|प्रत्यय **किया है ?** यदि हाँ तो उस**के ब्यौरे दें**	4	हाँ/नहीं

क	**प्रतिदाय किए** गए **कर** की रकम		**ख**	**निर्धारण वर्ष जिसमें** भारत में **कर राहत** की गई **है**

टिप्पण ► कृपया इस **अनुसूची** को भरने **के** लिए अनुदेशों **के प्रतिर्निदेश** करें

अनुसूची वि.आ.	**भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा**

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

अ**1** **31** दिसंबर, **202**4 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
(i)											
(ii)											

अ **2** **31** दिसंबर, **202**4 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
(i)											
(ii)											

अ3 **31** दिसंबर, **2024** को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
(i)												
(ii)												

अ4 **31** दिसंबर, **2024** को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
(i)								
(ii)								

ख **31** दिसंबर, **2024** को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	**देश का नाम और कोड**	**जिप कोड**	**अस्तित्व की प्रकृति**	**अस्तित्व का नाम और पता**	**ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकरी**	**रखने की तारीख से**	**कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)**	**ऐसे ब्याज से** प्रोदभूत **आय**	**आय की प्रकृति**	**इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज**		
										राशि	**जहां अनुसूची पेश की** गई **है**	**अनुसूची की मद संख्या**
(1)	**(2क)**	**(2ख)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
(i)												
(ii)												

ग **31** दिसंबर, **2024** को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	**देश का नाम और कोड**	***जिप कोड***	**संपत्ति का पता**	**स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी**	**अर्जन की तारीख**	**कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)**	**संपत्ति से प्राप्त आय**	**आय की प्रकृति**	**इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज**		
									राशि	**जहां अनुसूची पेश की** गई **है**	**अनुसूची की मद संख्या**
(1)	**(2क)**	**(2ख)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
(i)											
(ii)											

घ **31** दिसंबर, **2024** को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)

क्र सं.	देश का नाम और कोड	*जिप कोड*	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

ङ 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं ।

क्र सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	*जिप कोड*	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो

क्र. सं0	देश का नाम और कोड	*जिप कोड*	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	*जिप कोड*	जिससे *प्राप्त* हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है ।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।

अनुसूची जीएसटी	जीएसटी के लिए रिपोर्ट की गई अवधि/कुल प्राप्ति के संबंध में जानकारी	
जीएसटी ब्योरा	क्र. सं०	जीएसटीआईएन सं०	फाइल जीएसटीव विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों का वार्षिक मूल्य
	(1)	**(2)**	**(3)**
टिपण▶	***कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक जानकारी दें ।***		

भाग - **ख**

भाग **ख**-कुल आय	कुल आय की संगणना					
कुल आय	**1**	गृह संपत्ति से आय *(**अनुसूची गृह संपत्ति का 3**) (**यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें**)*			**1**	
	2	कारबार या वृत्ती से लाभ **और** अभिलाभ				
		i	*सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची- बी पी का ए3) (**यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें**)*	**2i**	
		ii	सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ *(*अनुसूची बीपी की तालिका **ङ** का *3(ii)) (*यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें*)*	**2ii**	
		iii	सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ *(*अनुसूची बीपी की तालिका **ङ** का *3(iii)) (*यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें*)*	**2iii**	
		iv	विशेष दर पर कर के लिए आय प्रभार्य *(*अनुसूची बीपी का *3घ, 3ङ* और 3 *च)*	**2iv**	
		v	*योग (**2i+2ii+2iii+2iv**) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि है और इस अंक को अनुसूची सीवाईएलए की हानि की प्रविष्ट में लें जांए)*		**2v**	
	3	पूंजी अभिलाभ				
		क	अल्पकालिक			
		iक	**15%** की दर से प्रभार्य अल्पकालिक *(अनुसूची सीजी* की मद *ङ का 11ii)*	**कiक**	
		Iख	20**%** की दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजी की मद ङ का **11iii)**	**कiख**	
		ii	**30 %** की20 की दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सीजी की मद की मद ड. का दर से प्रभार्य अल्पकालिक *(अनुसूची सीजी* की मद *ङ का 11iv\)*	**कii**	
		iii	लागू दर पर **प्रभार्य** अल्पकालिक *(अनुसूची सीजी* की मद *ङ का 11v)*	**कiii**	
		iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर लघु कालिक प्रभार्य **(**अनुसूची सीजी के मद ङ का **11vi)**	**कiv**	
		v	कुल अल्पकालिक **(कi** क**+ कii**ख **+ कii + कiii + कiv)** (यदि हानि हो तों कुछ नहीं प्रविष्टि करें)	**कv**	
		ख	दीर्घकालिक		
		iक	**10%** की दर से प्रभार्य **दीर्घकालिक** *(अनुसूची सीजी* की मद *ङ का 11vi i)*	**खiक**	

			Iख	**12**.5**%** की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक (अनुसूची सीजी की मद ङ का **11viii)**	खiख			
			ii	**20%** की दर से प्रभार्य **दीर्घकालिक** *(अनुसूची सीजी की मद ङ का (11ix)*	**ख ii**			
			iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ कालिक प्रभार्य **(**अनुसूची सीजी के मद ङ का **11x)**	**ख iii**			
			iv	कुल **दीर्घकालिक (ख i** क+ ख **i**ख+**ख ii + ख iii)** *(यदि हानि हो तो शून्य भरें)*	**ख iv**			
		ग		अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (**3कv + 3ख iv) (**यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)			**3**ग	
		घ		धारा **115**खखज के तहत **30%** की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का **ग 2)**			**3घ**	
		ङ		कुल पूंजीगत अभिलाभ **(3**ग **+ 3घ)**			**3** ङ	
	4	*अन्य **स्त्रोतों** से आय*						
		क		सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से कुल आय (अनुसूची ओएस का 6) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	**4 क**			
		ख		विशेष दर पर **कर** से प्रभार्य आ**य** *(अनुसूची* ओएस *का 2 भरे)*	**4 ख**			
		ग		घुडदौड़ के स्वामित्व और अनुसक्षण क्रियाकलाप से आय (अनुसूची ओएस का 8ङ) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	**4 ग**			
		घ		***योग* (4 क + 4 ख + 4 ग)**			**4 घ**	
	5			मदवार आय का योग **(1 + 2v + 3** ङ **+ 4 घ)**			**5**	
	6			5 *के सामने मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)*			**6**	
	7			चालू वर्ष की हानियों के शुरू होने के बाद शेष **(5 – 6)** *(*अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. *(ii), (iii) , (v)* से *(xvi)*का योग *+ 4*ख *+ 2v)*			**7**	
	8			*7 के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई (अनुसूची बीएफएलए के 2xvi, 3 xvi और 4xvi का योग)*			**8**	
	9			सकल कुल आय **(7 – 8)** *(*अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. *(i) , (ii) , (iv)*से *(xiv)*का योग *+ 4*ख *+ 2v)*			**9**	
	10			9 *में सम्मिलित धारा* 111 *क, धारा* 112, *धारा* 112 *क आदि के अधीन विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय*			**10**	
	11			अध्याय **VIक के** अधीन **कटौतियाँ**				
		क		**अनुसूची 6क का** भाग **ख [** *अनुसूची 6क का (1) और (9-10)* तक *सीमित]*			**11क**	
		ख		**अनुसूची 6क का** भाग **ग [** *अनुसूची 6क का (2)]*			**11ख**	
		ग		कुल **(11क + 11ख)** *(9-10)* तक *सीमित)*			**11**ग	
	12			धारा **10**कक के अधीन कटौती ***(***अनुसूची 10कक का कुल***)***			**12**	
	13			कुल आय **(9- 11**ग **-12)**			**13**	

	14	*विशेष दरों पर* ***कर*** *से प्रभार्य आय* ***(अनुसूची*** *एसआई* ***के i का योग)***	14	
	15	***रेट*** *प्रयोजन* ***के*** *लिए शुद्ध* ***कृषि*** *आय कोई अन्य आय* ***(अनुसूची*** *ईआई* ***का*** *2* **v)**	15	
	16	*कुल आय* **(13 – 14 + 15)** *[यदि* **(13-14)** ***प्रभार्य कर*** *की* ***प्रभार्य नहीं*** *की गई* ***रकम*** *से अधिक* ***है*** *तो लागू होगा]*	16	
	17	*अग्रनीत की जाने वाली चालू वर्ष की* ***हानि*** *यहाँ* ***(अनुसूची सी*** *एफएल* ***के xx का योग)***	17	
	18	***धारा 115 जग के*** *अधीन समझी गई कुल आय* (अनुसूची ए.एम.टी का 3)	18	

भाग **ख**-कुल आ**य** पर **कर** दायित्व	कुल आ**य** पर **कर** दायित्व की संगणना						
कर दायित्व की संरचना	**1**	**क**	**धारा 115जग के** अधीन समझी गई कुल आ**य** पर संदेय **कर** (अनुसूची एएम**टी का 4)**			**1क**	
		ख	पूर्वोक्त (क) पर अधिभार (यदि लागू है)			**1 ख**	
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर **4%** की दर पर ऊपर **1**क**+1**ख पर			**1 ग**	
		घ	**मानी** गई आय **(1 क+s1 ख+1 ग)** पर कुल संदेय **कर**			**1 घ**	
	2	*कुल* ***आय*** *पर संदेय* ***कर***					
		क	भाग **ख-टी**आई **के 16 के** सामान्य दरों पर **कर**	**2क**			
		ख	*विशेष दरों पर* ***कर*** **(अनुसूची-**एसआई **का ii का** कुल **योग)**	**2ख**			
		ग	***कृषि*** *आय पर छूट [भाग* **ख-नहीं झ का 13-14 कर** से प्रभार्य **अधिकतम रकम** से ज्यादा नहीं होगा, तभी लागू होगा	**2ग**			
		घ	*कुल* ***आय*** *पर संदेय* ***कर*** **(2*क*+2ख-2ग)**			**2घ**	
		ङ	उपकर	उपांतिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपांतिक के बाद अधिभार	**2ङ**	
		i	अनुसूची एस.आई के 12 ***(ii)*** का 25**%**	**2ङ i**	**iक**		
		ii	**10%** या **15%** पर लागू (निर्देश संदर्भ)	**2ङ ii**	**iiक**		
		iii	**[(2**घ**)** पर 12**ङ** **(ii)** में संदर्भित आय पर कर – अनुसूची एस.आई का ***12(ii)***	**2ङ iii**			
		Iv	कुल **(iक + iiक)**			**2ङ iv**	
		च	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर **4%** की दर पर ऊपर **2**घ**+2**ङ**iv**			**2**च	
		छ	*कुल* ***आय*** *पर संदेय* ***कर*** **(2घ +2ङ iv+ 2**च **)**			**2**छ	
	3	**सकल** संदेय **कर (2**छ या **1घ** से उच्चतर**)**				**3**	
	4	पूर्व वर्षों में **संदत्त कर का धारा 115जग के** अधीन जमा (यदि **2**छ **1ग** से अधिक **है) (अनुसूची** एएम**टीसी का 5)**				**4**	
	5	**धारा 115 जग के** अधीन जमा **के पश्चात** संदेय **कर (3 - 4)**				**5**	
	6	**कर राहत**					
		क	**धारा 90/90क (अनुसूची नद का 2)**	**6क**			
		ख	**धारा 91 (अनुसूची नद का 3)**	**6ख**			
		ग	योग **(6क + 6ख)**			**6ग**	

	7	शुद्ध **कर** दायित्व **(5-6ग)** *(यदि नकारात्मक हो तो शून्य दर्ज करें)*			7	
	8	ब्याज और देय फीस				
		क **विवरण** प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिएब्याज **(धारा 234क)**	**8क**			
		ख अग्रिम **कर के** संदाय में **व्यतिक्रम के** लिए ब्याज **(धारा 234ख)**	**8ख**			
		ग अग्रिम **कर के** आस्थगन **के** लिए ब्याज **(धारा 234ग)**	**8ग**			
		घ आय की विवरणी प्रस्तुत करने में त्रुटि के लिए फीस **(**धारा **234**च**)**	**8घ**			
		ङ कुल ब्याज और देय फीस **(8क+ 8ख+ 8ग +8घ)**			**8 ङ**	
	9	कुल दायित्व **(7 + 8 ङ)**			9	
संदत्त कर और बैंक के ब्यौरे	10	**संदत्त कर**				
		क *अग्रिम कर (115क के स्तंभ 5 से)*	**10क**			
		ख *स्रोत पर काटी गया कर (15ख के स्तंभ 9 का योग)*	**10ख**			
		ग *टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)*	**10ग**			
		घ *स्वत: निर्धारण कर (15क के स्तंभ 5 से)*	**10घ**			
		ङ कुल **संदत्त कर (10क+10ख+10ग+10घ)**			**10ङ**	
	11	संदेय **रकम(***यदि **9, 10 ङ** से अधिक **है** तो **प्रविष्ट** करें, अन्यथा **0 प्रविष्ट** करें**)**			11	
	12	**प्रतिदाय (***यदि **10ङ; 9** से अधिक **है)**			12	
	13	धारा 115नड़ के अधीन संदेय ब्याज सहित धारा 115 नघ के अधीन आय पर संदेय शुद्ध कर(अनुसूची 115 नघ का क्र.सं. 12)			13	
	14	क्र.सं. 12 (13-12) पर प्रतिदाय के समायोजन के पश्चात धारा 115 नघ के अधीन संदेय कर			14	
	15	क्र.सं. 14 (12-13) के अनुसार समायोजन के पश्चात शुद्ध प्रतिदाय (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे खाते में जमा किया जाएगा			15	

बैंक खाता	16	क्या आपका भारत में बैंक खाता है **(**भारत में बिना बैंक खाते के रिफंड का दावा करने वाले गैर-निवासी नहीं का चयन कर सकते हैं**)**					हां या नहीं का चयन करें
		क**)** पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा **(**निष्क्रिय खातों को छोड़कर**)**					
		क्रम सं.	बैंक खाता भारत में धारण किए जाने की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता सं .	खाता का प्रकार (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा ड्रापडाउन उपलब्ध कराया जाएगा)	प्रतिदाय जमा के लिए खाता चुनें(न्यूनतम एक खाते को ☑ करें
		i					☐
		ii					☐

	नोट**:** **1)**निष्क्रिय खाते को छोड़कर, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी 2) कई खातों के चुने जाने की दशा में**,** विवरणी प्रसंस्करण के पश्चात प्रतिदाय का विधि मान्य खातों में से किसी एक में जमा किया जाएगा।				
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं				
	ख**)** अनिवासी**,** जिनका भारत में बैंक खाता नहीं हैं**,** अपने विकल्प के तौर पर**,** एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं**:**				
	क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आई.बी.ए.एन
		आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं			

	17	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय **(i)** भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। **(ii)** भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या **(iii)** भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है**?** (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)	☐ हां ☐ **नहीं**

18 अनुसूची-आयकर

क आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर के ब्यौरे

कर	क्रम संख्या	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)	चालान का क्रम संख्या	रकम(रू.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				

टिप्पण ► अग्रिम कर और स्व-मूल्यांकन कर के कुल को टी टी आइ के भाग ख के क्रम संख्या 10क और 10घ में दर्ज करें

ख स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप **16** क या प्ररूप **16**ख/**16**ग/16घ/**16** ङ के अनुसार]

क्र.सं०	स्वंय/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस क्रेडिट (धारा **37**खक**(2)** के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैन/आधार संख्या (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का पैन/किराएदार/क्रेता का पैन/ आधार संख्या	धारा जिसके अधीन टीडीएस की कटौती होती है	अग्रेषित अदावाकृत टीडीएस		चालू वित्त वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष **2024-2**5 के दौरान टीडीएस कटौती)		इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित , लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।			प्रस्तावित समान रसीद/ आहरण	अग्रेषित टीडीएस क्रेडिट
					वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रेषित टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम **37**खक **(2)** के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कटौती(यदि लागू हो)		स्वयंक के हाथों में दावा की गई	नियम **37**खक **(2)** के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दावा किया गया(यदि लागू हो)		कुल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(4**क)	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**		**(9)**	**(10)**		**(11)**	**(12)**	**(13)**
								आय	टी.डी.एस		आय	टी.डी.एस	पैन/ आधार संख्या			
i																

टिप्पण भाग ख ►ननझ के *10*ख में स्तंभ *9* का योग प्रविष्ट करें

ग **स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए** गए **प्ररूप 27**घ **के अनुसार]**

आय के स्रोत पर संगृहीत कर

क्र. सं..	**स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस** नियम **37**-आई **(1)** के **अनुसार अन्य व्यक्ति]**	संग्रहणकर्ता **का कर** कटौती **और कर** संग्रहण अकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैन(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	दावा नहीं **किया** गया अग्रणित **स्रोत** पर कटौती **किया** गया **कर ख/** च		चालू वित्त वर्ष के टी.सी.एस. (वित्त वर्ष **2024-2**5 के दौरान कर संग्रहण)		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस			टी.सी.एस जमा आगे लाया गया
				वित्तीय वर्ष **जिसमें** संग्रह **किया** गया	रकम **ख/** च	स्वंय संग्रहित किया	नियम **37**-आई **(1)** के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)	स्वयं दावा किया गया	नियम **37**-आई **(1)** के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)		
(1)	(2i)	**(2ii)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6i)**	**(6ii)**	**(7i)**	**(7ii)**		**(8)**
i									टी.सी. एस	पैन/ आधार नं.	
ii											

टिप्पण ► कृपया भाग ग – टीटीआई के 10ग में स्तंभ (7) का योग प्रविष्ट करें ।

सत्यापन

मैं _____ (बड़े अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री .....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि विवरणी में दी गई सूचना और अनुसूचियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में सही और पूर्ण हैं ।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं यह विवरणी ..... (ड्राप डाउन प्रदान करें) की क्षमता में प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं । मैं एक स्थाई खाता संख्या .....धारक हूं (यदि आबंटित हों) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख **स्थान** **यहां हस्ताक्षर करें ।"**

[फा. सं. 370142/17/2025-टीपीएल]

सुरबेन्दु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.कानि. 279 (अ), तारीख 30 अप्रैल, 2025 द्वारा किया गया ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।